

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2**



**विषय सूची**

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii से x
<b>अध्याय-1</b>		
<b>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त</b>		
रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियां	1.3	6
पूँजीगत प्राप्तियां	1.4	11
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.5	12
व्यय की गुणवत्ता	1.6	15
सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.7	17
परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	1.8	20
ऋण प्रबंधन	1.9	22
राजकोषीय असंतुलन	1.10	24
राज्य वित्त के पिछले प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.11	27
निष्कर्ष	1.12	27
<b>अध्याय-2</b>		
<b>वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	29
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	30
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	31
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित की गई वसूलियाँ	2.4	34
अनुदान सं. 8 - 'समाज कल्याण' की संवीक्षा के परिणाम	2.5	35
निष्कर्ष	2.6	36

**अध्याय-3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**

लेखाकरण मानकों की अनुपालना	3.1	37
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब	3.2	37
लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.3	38
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	39
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	40
मुख्य शीर्ष-7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष	3.6	41
निष्कर्ष	3.7	42

क्र. सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा	45
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	46
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली	48
1.4	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आंकड़े	49
1.5	विभिन्न निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण	51
1.6	वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	52
2.1	₹50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची	56
2.2	विभिन्न अनुदान/विनियोजन का विवरण जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)	59
2.3	अनावश्यक पूरक प्रावधान	66
2.4	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)	67
2.5	वास्तविक प्रावधानों के ₹10 करोड़ तथा 70 प्रतिशत से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले	72
2.6	₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण	74
2.7	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह	75
2.8	अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत	76
3.1	31 मार्च 2019 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण	78
3.2	निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण	80
	शब्दावली	81-82





भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

‘वित्तीय रिपोर्टिंग’ पर अध्याय 3 विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों के लेन-देन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की प्राप्तियों सहित प्रतिवेदन, सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्डों, सरकारी कंपनियों एवं राजस्व क्षेत्र की अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।



# कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा जनगणना एवं रा.रा.क्षे.दि.स. जैसे विभिन्न माध्यमों से संग्रहित अतिरिक्त जानकारी पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखों का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

**अध्याय 1** वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संचय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

**अध्याय 2** विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोजन का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

**अध्याय 3** रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

### अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियां 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 11.50 प्रतिशत तक बढ़ गई। यह विशेष रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी के बदले में ₹4,182 करोड़ के मुआवजे की प्राप्ति के कारण कर राजस्व तथा ₹3,660 करोड़ (167.58 प्रतिशत) तक के सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण हुई थी। भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹2,184 करोड़ (2017-18) से ₹5,844 करोड़ (2018-19) तक बढ़ गया। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 2.54 प्रतिशत की वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 15.93 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी।

(पैरा 1.3, 1.3.1.1 व 1.3.1.2)

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में कुल व्यय 8.35 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 86.67 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 7.68 प्रतिशत तथा 5.65 प्रतिशत था।

(पैरा 1.5.1)

31 मार्च 2019 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹19,261 करोड़ का निवेश किया था। निवेश पर प्रतिफल नगण्य एवं 0.06 तथा 0.08 प्रतिशत (ऐतिहासिक

लागत पर) के बीच की श्रेणी का था जबकि सरकार ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान अपने ऋणों पर 8.54 प्रतिशत तथा 8.65 प्रतिशत के बीच की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था।

(पैरा 1.7.1)

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पिछले वर्ष से अधिक थी तथापि यह बकाए ऋणों का केवल एक अंश (2.55 प्रतिशत) था। 1998-2019 की अवधि के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को कुल ₹28,011 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2019 तक केवल ₹351 करोड़ वापस किये गये थे और ₹27,660 करोड़ बकाया था। बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित एजेंसियों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है।

1996-2011 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को ₹11,838 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था जबकि 31 मार्च 2019 तक ₹11,676 करोड़ की ऋण राशि बकाया छोड़कर ₹162 करोड़ वापस किया जा चुका है। 31 मार्च 2019 तक इन ऋणों पर ₹26,070 करोड़ की ब्याज देयता बकाया थी।

31 मार्च 2019 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास क्रमशः ₹2,038 करोड़, ₹1,396 करोड़ तथा ₹319 करोड़ बकाया थे। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु ऋणों की वसूली टाल दी गई। बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित एजेंसियों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है। चूंकि ऋणों की वसूली कम रही है, इसलिए रा.रा.क्षे.दि.स. इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने का विचार कर सकती है तथा लेखे सटीक स्थिति दर्शाये यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक कर रही है।

(पैरा 1.7.2)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की कुल राजकोषीय देयताएँ 2018-19 में ₹32,812 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएँ स.रा.घ.उ. का 4.21 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों के 76.11 प्रतिशत तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों के 88.04 प्रतिशत थीं।

(पैरा 1.8.2)

रा.रा.क्षे. दिल्ली ने 2014-15 से 2018-19 तक पाँच वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष बनाये रखने में सक्षम रहा। राजस्व अधिशेष 2018-19 में ₹6,261

करोड़ तथा स.रा.घ.उ. का 0.80 प्रतिशत था। राजकोषीय अधिशेष 2017-18 में ₹113 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹2,237 करोड़ हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है। 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दि.स. के कर्मचारियों की ₹1,137.21 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹7,136.48 करोड़ के राजस्व व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किए गए थे।

(पैरा 1.10.1)

## अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

₹58,177.14 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति, ₹46,344.56 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹11,832.58 करोड़ (20.34 प्रतिशत) की बचत हुई।

(पैरा 2.2.1)

आठ उप-शीर्षों में ₹160.87 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक थे क्योंकि पाँच मामलों में अंतिम व्यय मूल अनुदान से कम था जबकि सभी आठ मामलों में पूरक प्रावधान से कुछ भी व्यय नहीं हुआ था।

(पैरा 2.3.4)

41 उप-शीर्षों में जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी, पुनर्विनियोजन अनावश्यक रूप से किए गए क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप ₹315.91 करोड़ की राशि उपयोग न होकर संचित रही।

(पैरा 2.3.5)

14 उप-शीर्षों में ₹2,112.83 करोड़ का पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए जिनमें से छः उप-शीर्षों में ₹1,297 करोड़ की अनुदान राशि का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण हुआ।

(पैरा 2.3.6)

## अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न गारंटी संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने में पर्याप्त विलम्ब हुये थे जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹5,089.55 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 10 वर्षों से

बकाया थे, जबकि ₹79.45 करोड़ के 1,062 उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक से बकाया थे।

**(पैरा 3.2)**

वर्ष 2017-18 तक देय छः निकायों/प्राधिकरणों के 18 वार्षिक लेखे मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

**(पैरा 3.3)**

31 मार्च 2019 तक ₹682.98 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के प्रति ₹564.44 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के बकाया को छोड़कर ₹118.54 करोड़ (17.36 प्रतिशत) के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त हुए थे। 2018-19 के दौरान बकाये सार आकस्मिक बिलों का 41 प्रतिशत केवल मार्च 2019 के थे।

**(पैरा 3.5)**



## **अध्याय-1**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त**



## अध्याय - 1

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

#### प्रस्तावना

यह अध्याय 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में सरकारी लेखों के ढांचे तथा प्रकार को स्पष्ट किया गया है तथा **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में वित्त लेखों के ले-आउट को दर्शाया गया है।

**परिशिष्ट 1.3** में राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली दी गई है।

#### 1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य में सभी सरकारी मान्यता प्राप्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली का स.रा.घ.उ. 2018-19 में ₹7,79,652 करोड़ (वर्तमान मूल्य पर) था। वर्तमान मूल्य पर इसका स.रा.घ.उ. पिछले दशक में अखिल भारत के औसत स.घ.उ. वृद्धि (11.75 प्रतिशत) की तुलना में उच्च दर (12.41 प्रतिशत) पर बढ़ा है। पिछले दशक में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (10.35 प्रतिशत) की तुलना में रा.रा.क्षे. का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (10.30 प्रतिशत) आंशिक रूप से घटा हुआ था। (**परिशिष्ट 1.1**)

वर्तमान एवं अचल मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की तुलना में भारत के स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>वर्तमान मूल्य</b>					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
दिल्ली का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
<b>अचल मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)</b>					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,79,857	1,40,77,586
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य की स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,28,355	4,75,622	5,11,504	5,54,908	6,02,708
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.02	11.03	7.54	8.49	8.61

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा सां और का का.म वेबसाइट

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान तथा अचल दोनों मूल्य पर भारत के स.घ.उ. (वर्ष 2016-17 के लिए अचल मूल्य छोड़कर) से अधिक थी।

**1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश**

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लेखे मुख्यतः दो भागों में होते हैं (क) समेकित निधि (ख) आकस्मिक निधि। रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए लोक लेखे अलग नहीं होते। लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण एवं उचंत आदि) को संघ सरकार के लोक लेखों में समाविष्ट किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंत शेषों को समाविष्ट किया जाता है जो संघ सरकार के सामान्य रोकड़ के नकद शेष का अंश कहलाता है तथा सरकार के पास जमा के तौर पर समझा जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयता में लघु बचत संग्रहण बड़ी मात्रा में समाविष्ट होता है।

केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों की परिधि में दिल्ली नहीं आती है तथा उसे केवल संघीय कर तथा शुल्क के राज्य अंश के स्थान पर विवेकाधीन अनुदानों की प्राप्ति होती है।

तालिका 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2018-19) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.4 प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)


प्राप्तियां	संवितरण				
	2017-18	2018-19			
खण्ड-क राजस्व	कुल	कुल	खण्ड-अ राजस्व	कुल	कुल
राजस्व प्राप्तियां	38,667	43,113	राजस्व व्यय	33,754	36,852
कर राजस्व	35,717	36,625	सामान्य सेवाएँ	7,196	7,605
गैर-कर राजस्व	766	644	सामाजिक सेवाएँ	19,602	21,663
			आर्थिक सेवाएँ	5,862	5,219
भारत सरकार से अनुदान	2,184	5,844	सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,094	2,365
खण्ड-ख पूँजीगत			खण्ड-ब पूँजीगत		
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	-	पूँजीगत व्यय	3,243	3,266
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	691	1,644	संवितरित ऋण व अग्रिम	2,248	2,402
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां*	1,906	2,880	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भूगतान*	1,682	3,636
आकस्मिक निधि	2	95	आकस्मिक निधि से विनियोजन	2	95
आरंभिक नकद शेष#	2,645	2,982	अंतिम नकद शेष#	2,982	4,463
<b>कुल</b>	<b>43,911</b>	<b>50,714</b>	<b>कुल</b>	<b>43,911</b>	<b>50,714</b>

\* इसमें अधिकांशतः भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम लघु बचत के अंश के रूप में शामिल हैं।

# भारत सरकार के सामान्य रोकड़ शेष के साथ समाविष्ट अंतिम शेष

1.1.2 बजट आकलन तथा वास्तविकताएँ

बजट दस्तावेज एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय के आकलनों को बताते हैं। राजस्व तथा व्यय के आकलन को जितना सम्भव हो सही बनाना चाहिए जिससे सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्नताओं को विश्लेषित किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट आकलन तथा वास्तविकताओं को चार्ट 1.1 में दिखाया गया है।



- ₹44,824 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹43,113 करोड़ (96 प्रतिशत) की थी।

- ₹38,400 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति कर प्राप्तियों के अधीन वसूली ₹36,625 करोड़ (95 प्रतिशत) थी।
- ₹650 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति गैर-कर प्राप्ति ₹644 करोड़ (99 प्रतिशत) थी।
- ₹39,894 करोड़ के बजट प्रावधान की अपेक्षा वास्तविक राजस्व व्यय ₹3,042 करोड़ (8 प्रतिशत) तक कम था।
- पूँजीगत व्यय ₹9,304 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमान ₹10,216 करोड़ के प्रति कम था।
- ₹599 करोड़ के प्रत्याशित राजकोषीय घाटे के प्रति सरकार ₹2,237 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष अर्जित करने में कामयाब रही।

राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ राजस्व व्यय बजटीय लक्ष्यों से मामूली कम थे। राजस्व आधिक्य आकलनों से अधिक था।

### 1.1.3 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रियात्मकता की लोच अथवा मात्रा को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों, अपने कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं के उत्प्लावकता अनुपात को नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
<b>राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)</b>					
वर्ष के दौरान रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	5.73	18.30	-1.87	12.58	11.5
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा. की उत्प्लावकता	0.50	1.62	-0.16	1.04	0.89
<b>रा.रा.क्षे. दिल्ली का स्वयं का कर-राजस्व (ओ.टी.आर.)</b>					
वर्ष के दौरान ओ.टी.आर. (₹ करोड़ में)	26,604	30,226	31,140	35,717	36,625
ओ.टी.आर. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	2.64	13.61	3.02	14.70	2.54
स.रा.घ.उ. सहित ओ.टी.आर. की उत्प्लावकता	0.23	1.2	0.26	1.21	0.2
<b>कुल व्यय (कु. व्य.)</b>					
वर्ष के दौरान कु. व्य. (₹ करोड़ में)	29,593	33,750	35,609	39,244	42,520
कु. व्य. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	-9.57	14.05	5.51	10.21	8.35
स.रा.घ.उ. सहित कु. व्य. की उत्प्लावकता	-0.84	1.24	0.47	0.84	0.64
<b>राजकोषीय देयता (रा.दे.)</b>					
वर्ष की समाप्ति पर रा.दे. (₹ करोड़ में)	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
रा.दे. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	1.30	2.48	0.12	0.67	-2.26
स.रा.घ.उ. सहित रा.दे. की उत्प्लावकता	0.11	0.22	0.01	0.06	-0.17

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)


\* लघु बचत संग्रहण की अधिक मात्रा रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में शामिल है।

स.रा.घ.उ. की तुलना में पैरामीटर की उत्प्लावकता यदि कम है तो इसका अर्थ है कि पैरामीटर में संबंधित परिवर्तन राज्य की आय में ऐसे परिवर्तन से कम थे। यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा., अ.क.रा. तथा कु.व्य. की उत्प्लावकता 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान एक से कम थी।


## 1.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन

राजस्व तथा पूँजी प्राप्तियों की दो धारा हैं जो सरकार के संसाधनों को बनाती हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान से बनती हैं। पूँजीगत प्राप्तियां विविध पूँजीगत प्राप्तियों जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण तथा अग्रिम की वसूली और ऋण प्राप्तियों (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) से बनती हैं। चार्ट 1.2 कुल प्राप्तियों संसाधनों के घटकों को दर्शाता है। चार्ट 1.3 2014-19 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2018-19 के संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



\*प्रारम्भिक शेष को छोड़कर



2014-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की कुल प्राप्तियां ₹16,060 करोड़ (51 प्रतिशत) तक बढ़ गई। राजस्व प्राप्तियां ₹13,528 करोड़ (46 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूँजीगत प्राप्तियां, जिसमें ऋण तथा अग्रिमों की वसूली तथा ऋण प्राप्तियों की वसूली (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) शामिल थी, 2014-19 के दौरान मुख्य रूप से ऋण तथा अग्रिमों की वसूली में ₹1,416 करोड़ (621 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण ₹2,532 करोड़ (127 प्रतिशत) बढ़ गया।

2018-19 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां 90.50 प्रतिशत तथा पूँजीगत प्राप्तियों के घटक 9.50 प्रतिशत था।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर तथा गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान से बनती है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.4 तथा परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियां 2014-15 में ₹29,585 करोड़ से, 9.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़कर 2018-19 में ₹43,113 करोड़ हो गई; जिसमें से रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने कर राजस्व और सहायता अनुदान में उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ₹10,021 करोड़ (37.67 प्रतिशत) और ₹3,496 करोड़ (148.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।




तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	5.73	18.3	-1.87	12.58	11.50
रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	26,604	30,226	31,140	35,717	36,625
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.64	13.61	3.02	14.70	2.54
सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	2,348	4,258	2,825	2,184	5,844
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	67.35	81.35	-33.65	-22.69	167.58

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 11.50 प्रतिशत तक बढ़ गईं। यह मुख्यतः ₹3,660 करोड़ (167.58 प्रतिशत) के सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण था, जो कि जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न ₹4,182 करोड़ के राजस्व घाटे के बदले मुआवजे की प्राप्ति थी।

2014-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संघटक चार्ट 1.4 में दर्शाये गये हैं।



कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने कर राजस्व का अंश 2014-15 में 89.92 प्रतिशत से 2016-17 में 90.67 प्रतिशत बढ़ गया तथा फिर 2018-19 में 84.95 प्रतिशत तक घट गया। सकल राजस्व प्राप्तियों के अंश में गैर-कर राजस्व 2014-15 में 2.14 प्रतिशत से 2018-19 में 1.49 प्रतिशत तक घट गया। सहायता अनुदान का अंश 2014-15 में 7.94 प्रतिशत से 2018-19 में 13.56 प्रतिशत तक बढ़ गया।

### 1.3.1. रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के जुटाने में रा.रा.क्षे. दिल्ली का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं के कर एवं गैर-कर शामिल हैं, से होता है।

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल वसूली तालिका 1.5 में दी गई है जो 2014-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है।

तालिका 1.5: रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	18,289(2)	20,246(11)	21,144(4)	11,149	5,886(-47)
एस.जी.एस.टी.	-	-	-	13,621*	19,187(41)
राज्य उत्पाद	3,422(9)	4,238(24)	4,251(0.3)	4,453(5)	5,028(13)
वाहनों पर कर	1,559(11)	1,607(3)	1,809(13)	2,116(17)	2,055(-3)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क	2,780(-6)	3,433(23)	3,144(-8)	4,117(31)	4,459(8)
भूमि राजस्व	62	1	2	2	-
माल तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर <sup>1</sup>	492(6)	701(42)	790(13)	259(-67)	10(-96)
<b>कुल</b>	<b>26,604(3)</b>	<b>30,226(14)</b>	<b>31,140(3)</b>	<b>35,717(15)</b>	<b>36,625(3)</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लघु कोष्ठकों में दर्शाई गई पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि

एस.जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 से प्रभावी, इसलिए आंकड़े नौ माह के अर्थात् 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक के हैं।

#### वस्तु एवं सेवा कर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम कार्यान्वित किया जोकि 1 जुलाई 2017 से प्रभावी था। जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, के अनुसार पाँच साल की अवधि तक जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को मुआवजा देगी। राज्य को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की संगणना भारत के नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किए गए, अन्तिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया गया था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹16,784 करोड़ था। राज्य में किसी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व की संगणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व की तुलना में लागू प्रक्षेपित वृद्धि दर (14 प्रतिशत वार्षिक) द्वारा की जानी है।

<sup>1</sup> अन्य करों में अचल संपत्ति कृषि भूमि के अतिरिक्त पर कर, बिजली पर कर एवं शुल्क शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए प्रक्षेपित राजस्व आधार वर्ष के अनुसार ₹24,866 करोड़ था। ₹24,866 करोड़ की प्रक्षेपित राजस्व के प्रति, वर्ष 2018-19 के दौरान जी.एस.टी. के अधीन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹19,682.18 करोड़ थी तथा ₹4,182 करोड़ का प्राप्त मुआवजा था जैसाकि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2019 तक मुआवजे की प्राप्ति में कुल मिलाकर ₹1001.82 करोड़ की कमी थी।

तालिका 1.6: जीएसटी तथा प्राप्त मुआवजा

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया गया राजस्व	संग्रहित किए गए जीएसटी पूर्व कर	संग्रहित किए गए एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम अनुमोदन*	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी/ अधिशेष
अप्रैल 2018	2,074	26.96	1,329.38	743.89	2,100.23		26.23
मई 2018	2,072	35.84	783.91	367.34	1,187.09		-884.91
जून 2018	2,072	27.68	788.16	414.07	1,229.91	169	-673.09
जुलाई 2018	2,072	0.36	821.03	1,619.44	2,440.83		368.83
अगस्त 2018	2,072	14.51	809.03	418.98	1,242.52		-829.48
सितम्बर 2018	2,072	28.72	773.28	723.91	1,525.91	1,034	487.91
अक्टूबर 2018	2,072	55.81	836.97	529.51	1,422.29		-649.71
नवम्बर 2018	2,072	34.81	844.90	1,188.39	2,068.10	963	959.10
दिसम्बर 2018	2,072	40.79	832.92	738.99	1,612.70	974	514.70
जनवरी 2019	2,072	63.42	925.47	420.62	1,409.51		-662.49
फरवरी 2019	2,072	54.04	875.10	633.64	1,562.78		-509.22
मार्च 2019	2,072	81.28	989.53	809.50	1,880.31	1,042	850.31
<b>कुल</b>	<b>24,866</b>	<b>464.22</b>	<b>10,609.68</b>	<b>8,608.28</b>	<b>19,682.18</b>	<b>4,182</b>	<b>-1,001.82</b>

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त वित्त लेखे एवं सूचना

\* ₹2,582.20 करोड़ के तदर्थ निपटान सहित # मनोरंजन एवं विलासिता करों इत्यादि के संदर्भ में ₹31.39 करोड़ शामिल हैं

जी एस टी के संग्रहण के स्वचालन के साथ, नि.म.ले.प. के लेखा प्रमाणीकरण के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए सभी लेन-देनों की नमूना जांच से व्यापक जांच की ओर पारगमन आवश्यक है। आंकड़ों तक अपेक्षित पहुँच अभी तक प्रदान किया जाना बाकी है। सभी जीएसटी लेन-देनों से संबन्धित आंकड़ों तक पहुँच नहीं होने से जीएसटी प्राप्तियों का व्यापक रूप से लेखापरीक्षा नहीं हो रहा है। इसलिए, वर्ष 2018-19 हेतु लेखों को लेखापरीक्षा नमूना के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसा कि एक बार अपवाद के रूप में रिकॉर्ड मैनुअली रूप से बनाए रखने के दौरान किया गया था।

### 1.3.1.2 गैर कर राजस्व

2014-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: 2014-19 के दौरान गैर-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज प्राप्तियां	351(-8)	82(-76)	82(0)	396(383)	113(-71)
लाभांश तथा लाभ	13(8)	12(-8)	11(-8)	16(45)	14(-13)
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	269(0.5)	421(56)	288(-32)	354(23)	516(46)
क) लोक निर्माण कार्य	15	19	22	14	18
ख) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	58	126	60	89	103
ग) शिक्षा	25	22	24	26	29
<b>कुल</b>	<b>633(-4)</b>	<b>515 (-19)</b>	<b>381(-26)</b>	<b>766(101)</b>	<b>644(-16)</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

2014-19 के दौरान गैर-कर राजस्व में ₹11 करोड़ (1.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2015-16, 2016-17 तथा 2018-19 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी मुख्यतः स्थानीय निकायों से ऋणों पर ब्याज की कम प्राप्ति के कारण हुई थी। गैर-कर राजस्व (₹644 करोड़) जो 2018-19 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों (₹43,113 करोड़) का 1.49 प्रतिशत था, पिछले वर्ष की तुलना में ₹122 करोड़ (15.93 प्रतिशत) की कमी हुई।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान (स.अ.) के लिए योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया। भारत सरकार से स.अ. के ब्यौरे तालिका 1.8 में दिए गए हैं:

तालिका 1.8: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजनागत अनुदान	328	2,905	1,119	-	-
राज्य/यू.टी. योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	1,467	487	550	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	553	866	1,156	-	-
सीएसएस के लिए अनुदान	-	-	-	995	807
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व में कमी के लिए मुआवजा	-	-	-	157	4,182
विधायिका सहित राज्यों/यूटी को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	-	-	-	1,032	855
<b>कुल</b>	<b>2,348(67)</b>	<b>4,258(81)</b>	<b>2,825(-34)</b>	<b>2,184(-23)</b>	<b>5,844(168)</b>

भा.स. से स. अ. 2017-18 में ₹2,184 करोड़ से 2018-19 में ₹5,844 करोड़ (167.58 प्रतिशत) तक बढ़ गया। इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व घाटा जिसमें 2017-18 में ₹157 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹4,182 करोड़ का मुआवजा शामिल है।

### 1.3.3 भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत कार्मिकों द्वारा व्यय किए गए निर्माण की लागत पर उपकर की वसूली करता है। वसूल किए गए उपकर को निर्माण कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर व्यय किया जाता है। दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹351.44 करोड़ (संग्रहित उपकर तथा अर्जित ब्याज सहित) की कुल निधि प्राप्त की तथा कल्याणकारी योजनाओं पर केवल ₹31.06 करोड़ (8.84 प्रतिशत) व्यय किया।

31 मार्च 2019 तक भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड के पास कुल ₹2,708 करोड़ का संचयित उपकर उपलब्ध था।

कल्याणकारी योजनाओं पर निधियों के कम उपयोग पर मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जारी प्रतिवेदन में भी प्रकाश डाला गया था लेकिन विभाग/बोर्ड द्वारा पंजीकरण के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया था।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग/बोर्ड को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए इन निधियों की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करना चाहिए तथा उपकर वसूली के निर्दिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु भवन तथा अन्य निर्माणकारी कार्मिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को चलाना चाहिए।

### 1.4 पूँजीगत प्राप्तियां

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, भा.स. से ऋण के रूप में प्राप्तियां तथा विविध पूँजीगत प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। पाँच वर्षों (2014-19) के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों को तालिका 1.9 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:-

तालिका 1.9: प्राप्तियों के संघटक तथा वृद्धि में प्रवृत्तियां

रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत प्राप्तियां (पू.प्रा.)	1,992	2,324	1,908	2,597	4,524
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	228	83	212	691	1,644
लोक ऋण प्राप्तियां*	1,764	2,241	1,696	1,906	2,880
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के विषय में	-58	27	-24	12	51
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के विषय में	-72	-63	155	225	138
स.रा.घ.उ. के विषय में	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
पूँजीगत प्राप्तियों के विषय में	-60	17	-18	36	74

\* भा.स. से प्राप्त किए गए ऋण तथा अग्रिम।

गैर-ऋण प्राप्त 2017-18 में ₹691 करोड़ से 138 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹1,644 करोड़ तक हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः “बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण” शीर्ष के अंतर्गत ₹1,580 करोड़ के पुनर्भुगतान के कारण हुई थी। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान ‘शहरी विकास को ऋणों’ से ₹62 करोड़ की वसूली भी की गई थी।


#### 1.4.1 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

भा.स. से कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹757 करोड़ घटकर 2017-18 में ₹33,569 करोड़ से 2018-19 में ₹32,812 करोड़ हो गया। भा.स. से ₹2,880 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी तथा वर्ष के दौरान ₹3,636 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था (परिशिष्ट 1.4)।

### 1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग

#### 1.5.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटक

पिछले पाँच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति तथा संघटक को नीचे चार्ट 1.5, 1.6 तथा 1.7 में दर्शाया गया है:




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


पाँच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय 43.68 प्रतिशत तक बढ़ गया। पिछले पाँच वर्षों की अवधि में राजस्व व्यय 2014-15 में ₹23,509 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹36,852 करोड़ हो गया जिसमें 56.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय 8.35 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल बढ़ोतरी में, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय क्रमशः ₹3,098 करोड़ (9.18 प्रतिशत) तथा ₹23 करोड़ (0.71 प्रतिशत) तक बढ़ गया। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण ₹154 करोड़ (6.85 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय,

कुल व्यय का 86.67 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 7.68 प्रतिशत तथा 5.65 प्रतिशत थे।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 21.47 प्रतिशत से घटकर 18.31 प्रतिशत तक हो गया। सामाजिक सेवाओं का अंश 49.46 प्रतिशत से बढ़कर 55.08 प्रतिशत हो गया, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंश 2014-19 के दौरान 20.35 प्रतिशत से घटकर 15.40 प्रतिशत तक हो गए। उसी अवधि के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर कुल व्यय 5.68 प्रतिशत से कम होकर 5.65 प्रतिशत तक हो गया। 2014-19 के दौरान सहायता अनुदान का अंश 3.04 प्रतिशत से 5.56 प्रतिशत तक बढ़ गया। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के मिश्रित अंश जो विकास व्यय का द्योतक हैं, इस अवधि के दौरान 69.81 प्रतिशत से बढ़कर 70.48 प्रतिशत हो गए।

### 1.5.2 राजस्व व्यय

पिछले पाँच वर्षों (2014-19) की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि को तालिका 1.10 में दिखाया गया है।

तालिका 1.10: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	23,509	26,343	29,302	33,754	36,852
वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.11	12.05	11.23	15.19	9.18
स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता	4.75	4.81	4.75	4.92	4.73
ब्याज भुगतान	2,774	2,810	2,883	2,871	2,867
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	9.38	8.03	8.39	7.42	6.65

(₹ करोड़ में)

2014-19 के दौरान राजस्व व्यय 5.11 प्रतिशत से 15.19 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि की दर से ₹13,343 करोड़ (56.76 प्रतिशत) तक बढ़ गया। स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता 2014-19 की अवधि के दौरान 4.75 प्रतिशत से घटकर 4.73 प्रतिशत हो गई थी।

राजस्व व्यय 9.18 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹33,754 करोड़ से 2018-19 में ₹36,852 करोड़ हो गया। सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹409 करोड़ बढ़ गया था। सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः 'शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति' (₹902 करोड़), 'स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण' (₹801 करोड़) तथा 'सामाजिक कल्याण तथा पोषण' (₹558 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत व्यय में वृद्धि होने के कारण ₹2,061 करोड़ तक बढ़ गया था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय मुख्यतः सड़क परिवहन (₹746 करोड़) शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी होने के कारण ₹643 करोड़ तक घट गया।

### 1.5.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) 2014-19 की अवधि के दौरान घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है (चार्ट 1.5)। यह 2014-15 में ₹4,404 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹3,243 करोड़ हो गई तथा 2018-19 में ₹3,266 करोड़ हो गई। कुल व्यय के औसत के रूप में, पू.व्य. 2014-15 में 14.88 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 7.68 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1.6)।

### ब्याज भुगतान

पाँच वर्षों (2014-19) की अवधि में ब्याज भुगतान (₹2,867 करोड़) में 3.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹ चार करोड़ की कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2014-15 में 9.38 प्रतिशत से घट कर 2018-19 में 6.65 प्रतिशत हो गई।



## राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात हुई है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र है। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान देना होता है और उतनी ही राशि राज्य सरकार के द्वारा जमा कराई जाती है तथा पूरी राशि नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक) द्वारा निर्दिष्ट निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाती है।

प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2018-19 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के ₹221.73 करोड़ तथा नियोक्ताओं के अंशदान के ₹221.73 करोड़ के प्रति कुल ₹443.46 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के पास जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2018-19 के दौरान कर्मिकों के साथ-साथ नियोक्ताओं के प्रति कुछ बकाया नहीं था।

## 1.6 व्यय की गुणवत्ता

सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता व्यय की गुणवत्ता का एक सूचक होती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मूल रूप से तीन पहलू जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा प्रभाविता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का मूल्यांकन) सम्मिलित हैं।

### 1.6.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता


तालिका 1.11 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, पूँजीगत व्यय एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाते हैं।

तालिका 1.11: 2014-15 तथा 2018-19 में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	औ.व्य./स.रा .घ.उ.	वि.व्य./ औ.व्य.	सा.क्षे.व्य./ औ.व्य.	पूँजी/व्य./ औ.व्य.	शिक्षा/औ.व्य.	स्वास्थ्य/ औ.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2014-15	5.98	75.00	53.52	13.63	22.15	12.24
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2018-19	5.45	76.13	59.05	7.26	24.96	12.92

औ.व्य.: औसत व्यय, वि.व्य.: विकास व्यय, सा.क्षे.व्य.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व्य.: आर्थिक क्षेत्र व्यय पूँजी व्य पूँजीगत व्यय

# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।



2014-15 में 5.98 प्रतिशत से 2018-19 में 5.45 प्रतिशत तक स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में औसत व्यय घट गया था। 2014-19 के दौरान विकास व्यय तथा सामरिक क्षेत्र व्यय कुल व्यय के अनुपात के रूप में क्रमशः 75 प्रतिशत से 76.13 प्रतिशत तथा 53.52 प्रतिशत से 59.05 प्रतिशत तक बढ़ गया था। इस अवधि के दौरान सकल व्यय में स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर व्यय के अंश में भी वृद्धि दर्ज की है। यद्यपि, इस अवधि में पूँजीगत व्यय का अंश 13.63 प्रतिशत से 7.26 प्रतिशत तक घट गया।

### 1.6.2 व्यय के प्रयोग में दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यय के सुव्यवस्थीकरण हेतु उचित उपाय करे तथा लोक हित व उत्पादों की गुणवत्ता के प्रावधानों पर जोर दें। व्यय के प्रयोग में दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) के अनुपात द्वारा एवं वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन व रख रखाव के लिए किए गए राजस्व व्यय के समान अनुपात द्वारा दर्शायी जाती है। इन घटकों तथा कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। विकास व्यय में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक सेवाओं में ऋण तथा अग्रिम भी शामिल होते हैं। तालिका 1.12 में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान रा.रा.क्ष. दिल्ली के औसत व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
क) विकास राजस्व व्यय	16,625 (4.14)	18,957 (14.02)	21,690 (14.42)	25,464 (17.40)	29,235	26,882 (5.57)
ख) विकास पूँजीगत व्यय	4,033 (-9.21)	4,346 (7.76)	3,404 (-21.67)	3,015 (-11.44)	3,905	3,086 (2.35)
ग) विकास ऋण तथा अग्रिम	1,634 (-69.75)	2,093 (28.06)	1,941 (-7.23)	1,888 (-2.76)	2,301	2,401 (27.17)
<b>कुल</b>	<b>22,292</b> <b>(-13.62)</b>	<b>25,395</b> <b>(13.92)</b>	<b>27,036</b> <b>(6.46)</b>	<b>30,367</b> <b>(12.32)</b>	<b>35,441</b>	<b>32,369</b> <b>(6.59)</b>

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान विकास व्यय 45.20 प्रतिशत तक बढ़ गया था। यह व्यय, जो कुल व्यय (₹42,520 करोड़) का 76.13 प्रतिशत था, 2017-18 में ₹30,367 करोड़ से ₹2,002 करोड़ (6.59 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹32,369 करोड़ तक हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः विकास व्यय के 83 तथा 7 प्रतिशत तक हो गए थे जबकि पूँजीगत व्यय का अंश केवल 10 प्रतिशत था।

### 1.7 सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खंड पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय की गतिविधियों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### 1.7.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2019 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹19,261 करोड़ का निवेश किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में निवेश पर वृद्धि ₹88 करोड़ थी। 2018-19 में निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.) 0.07 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने 2018-19 के दौरान अपने ऋणों पर 8.64 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था। विस्तृत विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष की समाप्ति पर निवेश*	17,660	18,492	18,933	19,173	19,261
निवेश पर प्रतिफल**	12.9	12.32	11.28	15.91	14.31
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.59	8.54	8.65	8.58	8.64
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.52	8.47	8.59	8.50	8.57
निवेश पर सरकारी ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर #	1,505	1,566	1,626	1,630	1,651

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* प्रदत्त साधारण पूँजी से संबंधित \*\* सरकार द्वारा प्राप्त की गई लाभांश आय

# (वर्ष के अंत तक निवेश \*भुगतान की गई ब्याज दर तथा निवेशों पर प्रतिफल के बीच अंतर)/100

सरकारी निवेश 2014-15 से 2018-19 तक पाँच वर्षों में 9.07 प्रतिशत तक बढ़ गया था। सरकार ने 2014-19 के दौरान अपने ऋणों पर 8.54 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.06 तथा 0.08 (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच की श्रेणी की थी। पिछले पाँच वर्षों की अवधि में, सा.क्षे.उ. में निवेशों पर सरकारी ऋण तथा प्रतिफल में ₹7,978 करोड़ का अंतर था।

सात<sup>2</sup> सरकारी कंपनियों को उनके द्वारा भेजे गए लेखों के अनुसार ₹6,929.93 करोड़ के निवेश से ₹31,724 करोड़ कि संचित हानि हुई। हानि उठाने वालों में दो पावर कंपनियाँ (दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड - ₹1,360 करोड़ तथा दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड - ₹1,206 करोड़) तथा दिल्ली परिवहन निगम (₹29,143 करोड़) थे, जो कुल मिलाकर संचित हानि का 99.95 प्रतिशत था। 2018-19 दौरान, इन कंपनियों में सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करना चाहिए जो बड़े घाटे में चल रहे हैं, ताकि उनके पुनर्चलन या समापन जैसी भी जरूरत हो, के अनुसार एक रणनीतिक योजना बनायी जा सके।

### 1.7.2 सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार संस्थानों/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2019 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹64,570 करोड़ थे, जैसा कि तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त किए गए औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारंभिक शेष	55,737	57,190	59,915*	62,255	63,812
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	1,680	2,684	2,553	2,248	2,402
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	228	83	213	691	1,644
अंतिम शेष	57,189	59,791	62,255	63,812	64,570
सकल योग	1,452	2,601	2,340	1,557	758
ब्याज प्राप्ति	351	83	81	396	113
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.61	0.14	0.13	0.62	0.18
बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में रा.रा.क्षे.दि.स. का ब्याज भुगतान	8.54	8.44	8.64	8.55	8.74
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.93	8.30	8.51	7.93	8.56

\*गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण ₹124.58 करोड़ के अवधि पूर्व समायोजन को सम्मिलित करते हुए राशि

<sup>2</sup> दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, डी.एस.आई.आई.डी.सी क्रियेटिव आर्ट्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, डी.एस.आई.आई.डी.सी लीकर लिमिटेड, डी.एस.आई.आई.डी.सी मेन्टेनेंस सर्विसेस लिमिटेड तथा एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड

2017-18 में ₹2,248 करोड़ के मुकाबले 2018-19 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹2,402 करोड़ का ऋण दिया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹154 करोड़ अधिक है। वर्ष के दौरान कुल ऋण अग्रिमों में से दिल्ली जल बोर्ड तथा प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्रमशः ₹1,391 करोड़ तथा ₹350 करोड़ प्राप्त किया। 2018-19 की अवधि में ₹1,644 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिमों की वसूली यद्यपि बकाया ऋणों का केवल एक अंश (2.55 प्रतिशत) थी। 31 मार्च 2019 तक ₹64,570 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹19,702 करोड़), विविध ऋण (₹16,274 करोड़), सड़क परिवहन (₹15,596 करोड़), विद्युत परियोजनाएं (₹10,376 करोड़) एवं शहरी विकास (₹1,759 करोड़) जैसे महत्वपूर्ण शीर्ष थे जहाँ ऋण बकाया थे उन्हें **परिशिष्ट 1.5** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम एवं दिल्ली नगर निगम के प्रति बड़ी मात्रा में ऋण बकाया था। विवरण निम्नानुसार है:

### **दिल्ली जल बोर्ड**

दिल्ली जल बोर्ड का गठन अप्रैल, 1998 में हुआ था। 1998-99 से दिल्ली जल बोर्ड को कुल ₹28,011 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2019 तक केवल ₹351 करोड़ वापस किये गये थे और ₹27,660 करोड़ बकाया था। गत पाँच वर्षों में कोई भी राशि वापस नहीं की गई। सरकार ने कहा (जून 2020) कि बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित एजेसियों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है।

### **दिल्ली परिवहन निगम**

1996-1997 से 2010-11 तक दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) ने ₹11,838 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की। इसमें से ₹162 करोड़ वापस किया जा चुका है। 2010-11 से डीटीसी को किसी ऋण का संवितरण नहीं किया गया है और यह 2011-12 से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है। 31 मार्च 2019 तक दिल्ली परिवहन निगम के प्रति ₹11,676 करोड़ की ऋण राशि बकाया है। 31 मार्च 2019 तक ऋणों पर ब्याज की बकाया राशि ₹26,070 करोड़ थी।

### **दिल्ली नगर निगम**

दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) को विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर ऋण प्रदान किये जाते हैं तथा इनका समायोजन उन्हें देय

मूल कर निर्धारण से किया जाता है। 31 मार्च 2012 तक पहले के दिल्ली नगर निगम पर ₹2,060 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। एमसीडी के तीन भागों में बंटने के उपरांत इन ऋणों को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (₹936 करोड़), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (₹730 करोड़) एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम (₹394 करोड़) के बीच उनके देयता अनुपात के आधार पर बाँट दिया गया था।

### **उत्तरी दि.न.नि.**

2012-19 की अवधि में उत्तरी दि.न.नि. द्वारा ₹1,681 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2014-15 की अवधि में ₹373 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली टाल दी गई है। 31 मार्च 2019 तक ₹2,038 करोड़ की ऋण राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

### **पूर्वी दि.न.नि.**

2012-19 की अवधि में पूर्वी दि.न.नि. द्वारा ₹1,134 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2013-14 की अवधि में ₹132 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली टाल दी गई है। 31 मार्च 2019 तक ₹1,396 करोड़ की ऋण राशि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

### **दक्षिणी दि.न.नि.**

2012-19 की अवधि में दक्षिणी दि.न.नि. द्वारा ₹158 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गयी थी। 31 मार्च 2019 तक ₹319 करोड़ की राशि बकाया छोड़कर 2012-13 से ₹776 करोड़ की वसूली हुई है।

सरकार ने कहा (जून 2020) कि बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित एजेसियों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है।

चूंकि ऋणों की वसूली कम रही है, इसलिए रा.रा.क्षे.दि.स. इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने पर विचार कर सकती है तथा लेखे की सटीक स्थिति दर्शाने हेतु यह सुनिश्चित करे की उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक कर रही है।

## **1.8 परिसम्पतियाँ व देयताएँ**

### **1.8.1 परिसम्पतियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना**

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अंचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि,

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। परिशिष्ट 1.6 (भाग क एवं ख) 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों के सार का 31 मार्च 2018 की संबंधित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी परिव्यय व ऋण एवं अग्रिम तथा प्रारंभिक शेष आते हैं। देयताओं में केवल भा.स. द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

### 1.8.2 राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.15 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं, उनकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. से इन देयताओं, राजस्व प्राप्तियों से तथा अपने संसाधनों से अनुपात एवं इन पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में भा.स. की लघु बचत संग्रह का बड़ा हिस्सा शामिल है।

तालिका 1.15: राजकोषीय देयताएँ-मूल पैरामीटर

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय देयताएँ (₹ करोड़ में)	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	1.30	2.48	0.12	0.67	-2.25
<b>राजकोषीय देयताओं का अनुपात:</b>					
स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	6.57	6.05	5.42	4.86	4.21
राजस्व प्राप्तियों (प्रतिशत)	109.85	95.16	97.09	86.81	76.11
अपने संसाधन# (प्रतिशत)	119.32	108.34	105.79	92.01	88.04
<b>राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता के संदर्भ में:</b>					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.11	0.22	0.01	0.06	-0.17
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	0.23	0.14	-0.07	0.05	-0.20
अपने संसाधन (अनुपात)	0.53	0.19	0.05	0.04	-1.05

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे  
# कर + गैर-कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2014-15 में ₹32,498 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹32,812 करोड़ (0.97 प्रतिशत) हो गई। 31 मार्च 2019 को ₹32,812 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में मुख्यतः ₹29,406 करोड़ की 'लघु बचत के संग्रह का अंश' एवं ₹3,326 करोड़ की 'संसाधन में अंतर की पूर्ति हेतु ऋण' शामिल थे।

वर्ष 2013-14 में भा.स. द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली को ₹3,326 करोड़ की राशि 9.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों<sup>3</sup> और पूर्ववर्ती डीईएसयू (दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम), रेल मंत्रालय के बकाया राशि के निपटान के लिए दी गई थी। हालांकि, 31 मार्च 2019 तक रा.रा.क्षे.

<sup>3</sup> एनटीपीसी लि., एनएचपीसी लि., भारतीय पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं परमाणु ऊर्जा निगम

दिल्ली ने न तो ऋण की मूल राशि की कोई किस्त दी है और न ही ब्याज का भुगतान किया है।

वर्ष 2018-19 के अंत में राजकोषीय देयताएँ जीएसडीपी के 0.04 गुणा, राजस्व प्राप्तियों के 0.76 गुणा और रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों की 0.88 गुणा हो गई थी।

## 1.9 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियां शामिल हैं।

(i) **ऋण रूपरेखा तालिका 1.16** पिछले पाँच वर्षों के रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण रूप रेखा की समय क्रंखला के विश्लेषण को बताती है।

**तालिका 1.16: भा.स. से ऋण की रूपरेखा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रति व्यक्ति ऋण**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की भी तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
2014-15	32,080	1,764	1,347	32,498	418	1.30
2015-16	32,498	2,241	1,435	33,304	806	2.48
2016-17	33,304	1,696	1,655	33,345	41	0.12
2017-18	33,345	1,906	1,682	33,569	224	0.67
2018-19	33,569	2,880	3,636	32,812	-757	-2.25

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार के ऋण 2014-15 में ₹32,498 करोड़ से ₹314 करोड़ (0.97 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹32,812 करोड़ हो गया।

(ii) **ऋण धारणीयता**

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। ऋण धारणीयता भविष्य में राज्य के ऋण सेवा सामर्थ्य को बताती है। यह खंड रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वृद्धि की दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति एवं राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में ऋण की धारणीयता को आकलित करता है। 2014-15 से 2018-19 की पाँच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार **तालिका 1.17** राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।



तालिका 1.17: ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियाँ

ऋण धारणीयता के संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया सार्वजनिक ऋण (₹ करोड़ में)	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	1.30	2.48	0.12	0.67	-2.25
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
सार्वजनिक ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	6.57	6.05	5.42	4.86	4.21
ब्याज का भुगतान (₹ करोड़ में)	2,774	2,810	2,883	2,871	2,867
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर [चुकाया गया ब्याज/(सार्वजनिक ऋण का अ.शे. + सार्वजनिक ऋण का अं.शे.)/2] (प्रतिशत में)	8.59	8.54	8.65	8.58	8.64
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	9.38	8.03	8.39	7.42	6.65
ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,347	1,435	1,655	1,682	3,636
ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,764	2,241	1,696	1,906	2,880
ऋण प्राप्तियों से ऋण भुगतान का प्रतिशत	76.33	64.04	97.59	88.25	126.25
रा.रा.क्षे. दिल्ली का शुद्ध उपलब्ध ऋण (₹ करोड़ में)	(-) 2,357	(-) 2,005	(-) 2,842	(-) 2,647	(-) 3,623

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#रा.रा.क्षे.दि.स. को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से होने वाली अधिकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण 2014-15 में ₹32,498 करोड़ से 2018-19 में ₹32,812 करोड़ हो गया तथा 2014-19 की अवधि में 0.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सार्वजनिक ऋण में पिछले वर्ष से 2018-19 में 2.25 प्रतिशत की कमी हुई थी। बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 2015-16 में 2.48 प्रतिशत से 2017-18 में 0.67 प्रतिशत तक घट गयी तथा 2018-19 में ऋणात्मक थी। 2018-19 में सार्वजनिक ऋण (₹3,636 करोड़) का पुनर्भुगतान सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹2,880 करोड़) से अधिक था।

2014-19 की अवधि के दौरान पूर्व में दिए गए उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उधार दी गई राशि की उपयोगिता तथा पूँजीगत व्यय के ब्यौरे तालिका 1.18 में दिये गये हैं:

तालिका 1.18: उधार दी गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान (मुख्य) (प्रतिशत)	पूँजीगत व्यय के लिए उधार लिया गया उपलब्ध धन (प्रतिशत)
1	2	3	4=(2-3)
2014-15	1,764	1,347(76)	417(24)
2015-16	2,241	1,435(64)	806(36)
2016-17	1,696	1,655(98)	41(2)
2017-18	1,906	1,682(88)	224(12)
2018-19	2,880	3,636(126)	-



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2014-19 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई अंश राजस्व व्यय के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा था जबकि 2014-19 की पूर्ण अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास राजस्व अधिशेष था। उधार ली गई निधियों का प्रयोग केवल पूँजीगत व्यय एवं ऋण के चुकाने हेतु किया जा रहा था। 2018-19 के

दौरान पुनर्भुगतान उधार ली गयी राशि से अधिक था। ऋण को राजस्व अधिशेष के प्रयोग से चुकाया गया था।

2014-19 के दौरान स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि सार्वजनिक ऋण की वार्षिक दर की अपेक्षा अधिक थी जैसा कि चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।

ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में 2014-15 में 9.38 प्रतिशत से 2018-19 में 6.65 प्रतिशत तक घट गया (चार्ट 1.10) जो दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान घटता जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप विकास के लिए और अधिक निधियों की उपलब्धता थी।





## 1.10 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय पैरा-मीटरों राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटा निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों को चुकाया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किये जाते हैं, उसे राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में समझे जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

### 1.10.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान घाटे/अधिशेष संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।



राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। 2018-19 में ₹6,261 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियां हैं। 2014-19 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में लगातार राजस्व अधिशेष रहा है। यह राजस्व अधिशेष 2014-15 में ₹6,076 करोड़, 2015-16 में ₹8,656 करोड़, 2017-18 में ₹4,913 करोड़ तथा 2018-19 में ₹6,261 करोड़ था।

2014-15 में राजकोषीय अधिशेष ₹219 करोड़ था जो कि 2016-17 के दौरान ₹1,051 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया तथा 2017-18 में ₹113 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 के दौरान राजकोषीय अधिशेष ₹2,237 करोड़ था।

2014-19 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास प्राथमिक अधिशेष था जो 2017-18 ₹2,984 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹5,104 करोड़ हो गया।

2017-18 में स.रा.घ.उ. के 0.71 प्रतिशत के प्रति 2018-19 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.80 प्रतिशत हो गया। 2017-18 में स.रा.घ.उ. के 0.02 प्रतिशत के प्रति 2018-19 में राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.29 प्रतिशत हो गया। गैर-ऋण प्राप्तियां, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में वृद्धि के कारण प्राथमिक अधिशेष 2017-18 में 0.43 प्रतिशत के प्रति 2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.65 प्रतिशत हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भा.स. वहन करता है। 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दि.स. के कर्मचारियों की ₹1,137.21 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹7,136.48 करोड़ के राजस्व व्यय का वहन भा.स. द्वारा किया गया था।

### 1.10.2 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे एवं निवल पूँजीगत व्यय (ऋण व अग्रिम सहित) का योगदान राजकोषीय घाटे के प्रति राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश उस सीमा को इंगित करता है जहाँ उधारी निधियों का प्रयोग वर्तमान खपत हेतु किये जाते थे। इसके अलावा राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे का सतत उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार छोटा होता जा रहा है और उधार ली गई देयताओं (राजकोषीय देयताओं) के लिए परिसंपत्ति का आधार नहीं था। प्राथमिक घाटे/अधिशेष का विस्तृत विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय <sup>4</sup>	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8(3-4)	9(2-7)
2014-15	29,812	29,585	20,735	4,404	1,680	26,819	8,850	2,993
2015-16	35,082	34,999	23,533	4,723	2,684	30,940	11,466	4,142
2016-17	34,558	34,346	26,419	3,754	2,553	32,726	7,927	1,832
2017-18	39,358	38,667	30,883	3,243	2,248	36,374	7,784	2,984
2018-19	44,757	43,113	33,985	3,266	2,402	39,653	9,128	5,104

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- रा.रा.क्षे. दिल्ली की गैर-ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ मुख्य रूप से सम्मिलित थी जो 2014-15 से 2018-19 के दौरान 50.13 प्रतिशत तक बढ़ गई थी तथा प्राथमिक राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी।

<sup>4</sup> प्राथमिक राजस्व व्यय = कुल राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान

- 2014-15 में ₹8,850 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष 2018-19 में 3.14 प्रतिशत बढ़कर ₹9,128 करोड़ हो गया। 2018-19 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष में गत वर्ष से ₹1,344 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 2014-15 में 16.42 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 8.24 प्रतिशत हो गया है।
- 2014-15 से 2018-19 की अवधि में रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रत्येक वर्ष प्राथमिक अधिशेष हुआ था।

कुछ सकारात्मक एवं उन्हें करीब से ध्यान देने योग्य संकेतकों का चित्रण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.20: मुख्य पैरामीटर

सकारात्मक संकेतक	विशेष ध्यान दिए जाने योग्य पैरामीटर
भारत सरकार से सहायता अनुदान में 168 प्रतिशत की वृद्धि	राजस्व व्यय में 9.18 प्रतिशत की वृद्धि
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियों में 138 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां में 51.10 प्रतिशत की वृद्धि
विकास व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि	

### 1.11 राज्य वित्त के पिछले प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

दिल्ली में 2009-10 से लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गई है, यद्यपि प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त, पिछले दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य वित्त प्रतिवेदन पर स्वयं संज्ञान लेकर एटीएन नहीं भेजा गया। इसलिए प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल में रखने के उपरान्त सरकार द्वारा उठाये गये सुधारात्मक उपायों के बारे में लेखापरीक्षा में पता नहीं चल पाया है।

### 1.12 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से 11.50 प्रतिशत तक बढ़ गईं। कर राजस्व पिछले वर्ष से 2.54 प्रतिशत बढ़ गया तथा गैर-कर राजस्व 15.93 प्रतिशत घट गया।

भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान ₹2,184 करोड़ (2017-18) से बढ़ाकर ₹5,844 करोड़ (2018-19) कर दिया गया।

2018-19 के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष से 8.35 प्रतिशत तक बढ़ गया था। राजस्व व्यय 2018-19 के दौरान कुल व्यय का 86.67 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 7.68 प्रतिशत तथा 5.65 प्रतिशत था।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जो विकास व्यय को दर्शाता है पिछले वर्ष की तुलना में 72.57 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 70.48 प्रतिशत हो गया।

31 मार्च 2019 तक रा.रा.क्षे.दि.स. ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹19,261 करोड़ निवेश किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल लगभग नगण्य (0.07 प्रतिशत) था। जबकि 2018-19 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.64 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

1998-2019 की अवधि में दिल्ली जल बोर्ड को वितरित की गई ऋण राशि ₹28,011 करोड़ के प्रति 31 मार्च 2019 तक ₹27,660 करोड़ का बकाया रहते हुए केवल ₹351 करोड़ वापस किया गया था। बकाये ऋण के कारण ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय एवं संबंधित एजेंसियों के मध्य मिलान हेतु लंबित है।

1996-2011 की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम को ₹11,838 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई थी जबकि 31 मार्च 2019 तक ₹11,676 करोड़ की ऋण राशि बकाया छोड़कर ₹162 करोड़ वापस किया गया है। 31 मार्च 2019 तक इन ऋणों पर ₹26,070 करोड़ की ब्याज देयता बकाया थी।

31 मार्च 2019 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्रति क्रमशः ₹2,038 करोड़, ₹1,396 करोड़ तथा ₹319 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। बकाया ऋण पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एजेंसियों के मध्य मिलान हेतु लंबित है।

2018-19 में पिछले वर्ष से राजस्व अधिशेष में 27.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह 2018-19 में स.रा.घ.उ. का 0.80 प्रतिशत था।

2017-18 में ₹113 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष 2018-19 में बढ़कर ₹2,237 करोड़ हो गया। राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.29 प्रतिशत था।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पिछले पाँच वर्षों 2014-15 से 2018-19 तक प्राथमिक अधिशेष को बनाए रखा गया। प्राथमिक अधिशेष में पिछले वर्ष से 71.05 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई एवं 2018-19 में यह स.रा.घ.उ. का 0.65 प्रतिशत था।

**अध्याय-2**  
**वित्तीय प्रबंधन**  
**तथा**  
**बजटीय नियंत्रण**





## अध्याय - 2


### 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, पूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं तथा यह विनियोजन अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर प्राधिकृत पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को वास्तविक पूँजीगत व दत्तमत व्यय की तुलना में दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्त के प्रबंधन तथा बजट प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

विनियोजन लेखा बजट बनाने तथा कार्यान्वयन की समस्त प्रक्रिया के साथ डाटा संरक्षित करता है (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: विनियोजन लेखे

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2018-19 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोजन लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

बजट तथा व्यय के प्रबंधन में कमियों का अनुवर्ती पैराग्राफों में वर्णन किया गया है।

## 2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2018-19 के दौरान 15 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति


(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+)
दत्तमत	राजस्व	39,796.55	1,041.42	40,837.97	33,773.44	(-)7,064.53
	पूँजीगत	5,474.39	1,095.02	6,569.41	3,284.77	(-)3,284.64
	ऋण व अग्रिम	2,706.06	1,026.99	3,733.05	2,402.37	(-)1,330.68
<b>कुल दत्तमत</b>		<b>47,977.00</b>	<b>3,163.43</b>	<b>51,140.43</b>	<b>39,460.58</b>	<b>(-)11,679.85</b>
प्रभारित	राजस्व	3,294.26	14.98	3,309.24	3,156.94	(-)152.30
	पूँजीगत	0.20	0.91	1.11	0.69	(-)0.42
	ऋण व अग्रिम	1,728.55	1,907.81	3,636.36	3,636.35	(-)0.01
<b>कुल प्रभारित</b>		<b>5,023.01</b>	<b>1,923.70</b>	<b>6,946.71</b>	<b>6,793.98</b>	<b>(-)152.73</b>
आकस्मिक निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		0	90.00	90.00	90.00	0
<b>कुल जोड़</b>		<b>53,000.01</b>	<b>5,177.13</b>	<b>58,177.14</b>	<b>46,344.56</b>	<b>(-)11,832.58</b>

₹5,177.13 करोड़ का पूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 9.8 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 2.5 प्रतिशत था।

### 2.2.1 विनियोजन लेखों 2018-19 का विश्लेषण

चार्ट 2.2 : बजट को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया



स्रोत: विनियोजन लेखे

2018-19 के दौरान कुल अनुदान तथा ₹58,177.14 करोड़ के विनियोजन के प्रति ₹46,344.56 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹11,832.58 करोड़ की बचत हुई (तालिका 2.2)। राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 12 अनुदानों (उप-शीर्ष) एवं राजस्व (प्रभारित) के अंतर्गत 12 अनुदानों (उप-शीर्ष) में ₹7,217.18 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत 10 अनुदानों (उप-शीर्ष) एवं पूँजीगत (प्रभारित) के अंतर्गत एक अनुदान और ऋण अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण-भुगतान) में ₹4,615.75 करोड़ की बचत तथा राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत मुख्यतः ₹0.35 करोड़ अधिक्य के परिणाम में कुल बचत ₹11,832.58 करोड़ हुई।

**तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों (उप-शीर्ष स्तर) के अंतर्गत कुल बचत अथवा आधिक्य**

विवरण	अनुदान/विनियोजन की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूँजीगत (दत्तमत)	पूँजीगत (प्रभारित)	लोक ऋण पुनर्भुगतान	
बचत हुई	12	12	10	1	1	(-)11,832.93
अधिक व्यय हुए	2	0	0	0	0	0.35

स्रोत: विनियोजन लेखे

## 2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

### 2.3.1 आबंटित प्राथमिकताओं की तुलना में बचतें

वर्ष 2018-19 के विनियोजन लेखे प्रकट करते हैं कि कुल ₹1,459.57 करोड़ के पाँच अनुदानों से संबंधित 15 मामलों में ₹50 करोड़ से अधिक की बचत की गई (परिशिष्ट 2.1)। बचत रिक्त पदों को न भरने, अपेक्षित बिलों की गैर-प्राप्ति, भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी नहीं करने के कारण हुई थीं।

### 2.3.2 निरंतर बचतें

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, तीन अनुदानों ने ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक की निरंतर बचतों को दर्शाया जिसका ब्यौरा तालिका 2.3 में दिया गया है:

**तालिका 2.3: 2014-19 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची**

क्र. सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	(₹ करोड़ में)
<b>राजस्व - दत्तमत</b>							
1.	<b>अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन</b>						
	2014.00.108.99	कु. प्रा.	47.77	62.41	58.50	59.07	71.37
	न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	ब.	8.05	15.29	8.13	7.86	21.87
		%	16.85	24.50	13.90	13.31	30.64
2.	<b>अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य</b>						
	2211.00.102.80 शहरी परिवार	कु. प्रा.	10.67	10	19.26	4.29	19.99
	कल्याण केंद्र (सी एस एस)	ब.	9.21	8.71	17.76	2.50	16.53
		%	86.32	87.10	92.21	58.28	82.69
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>							
3.	<b>अनुदान सं. 8- समाज कल्याण</b>						
	5055.00.800.97-इलेक्ट्रॉनिक	कु. प्रा.	3	11	11.73	30.00	15.46
	ट्राली बसों - परिवहन की	ब.	3	11	11.73	12.66	4.37
	वैकल्पिक प्रणाली का आरंभ	%	100	100	100	42.20	28.27

कु.प्रा.-कुल प्रावधान (वास्तविक+पूरक+पुनर्विनियोजन), ब.-बचतें, % - प्रतिशतता

2018-19 में बचत अपेक्षित बिलों के गैर-प्राप्ति, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की गैर प्रस्तुतीकरण तथा दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपीड ट्रांजिट प्रणाली (आर.आर.टी.एस.) कॉरीडोर के निधियों के समर्पण के कारण हुई थी। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

के राज्य वित्त प्रतिवेदन में उल्लेख किए जाने के बावजूद वर्तमान वर्ष में भी निर्धारित उपरोक्त अनुदानों के अंतर्गत बचतें हुईं जो आवश्यक निधि के गलत निर्धारण को दर्शाता है। इसका पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

### 2.3.3 सम्पूर्ण प्रावधान की बचत


नौ अनुदानों के 56 उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक) ₹404.83 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गया अथवा वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति के पूर्व सरकारी खातों में वापिस जमा करा दिया गया। उप-शीर्षों का विवरण **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। सम्पूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य की ओर संकेत करती थी कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बिना ही तैयार किए गए थे। योजनाएँ जो सम्पूर्ण प्रावधान को उपयोग नहीं किए जाने के कारण प्रारंभ नहीं हुईं, वे थीं- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.) (₹ छः करोड़), स्मार्ट सिटी तथा अमृत के लिए विभिन्न नागरिक एजेंसियां को स.अ. (सी.एस.एस.) (₹213 करोड़), सभी जेलों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के 'ओ' तथा 'एम' के स्थापना (₹25 करोड़), तथा वाई-फाई दिल्ली (₹ पाँच करोड़)।

### 2.3.4 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए। पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्ष 2018-19 के विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में आठ उप-शीर्षों में ₹160.87 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.3 (चार्ट 2.3)** में वर्णित है। हालाँकि, पाँच मामलों में अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था जबकि सभी आठ मामलों में पूरक अनुदान के उद्देश्य को विफल करते हुए पूरक प्रावधान से कोई व्यय नहीं हुआ था।

**चार्ट 2.3: अनावश्यक पूरक प्रावधान**



स्रोत: विनियोजन लेखे

### 2.3.5 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में अनुदान के भीतर ही निधियों को विनियोजन की एक इकाई, जहाँ बचतें प्रत्याशित हों, से एक दूसरी इकाई में, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, स्थानान्तरित किया जाता है। सात अनुदानों में, 41 उप-शीर्षों के अंतर्गत जहाँ अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी, अनावश्यक रूप से पुनर्विनियोजन किए गये क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और ₹194.63 करोड़ के पुनर्विनियोजन ₹315.91 करोड़ की राशि उपयोग न होकर संचित रही जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में बताया गया है। विभागों ने योजना का गैर-क्रियान्वयन, कम खरीद, कार्य का शुरू न होना, भा.स. से कम अनुदान की प्राप्ति, उ.दि.न.नि. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत करना, कार्यों की धीमी प्रगति इत्यादि कारणों को बताया। महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

- (i) अनुदान संख्या 2-‘सामान्य प्रशासन विभाग’ के अधीन अधिक बिलों और दावों की प्रत्याशा में उप-शीर्ष ‘मुख्य सचिवालय’ के अधीन ₹9.46 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गये थे। हालाँकि वहाँ ₹10.20 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (ii) अनुदान संख्या 5-‘गृह’ के अधीन ‘कारागार स्थापना’ उप-शीर्ष के अधीन अधिक बिलों और खरीद की प्रत्याशा में ₹6.55 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गये थे। हालाँकि, वहाँ ₹27.79 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (iii) अनुदान संख्या 6-‘शिक्षा’ के अधीन पूँजीगत-दत्तमत से ‘श्रमिक उपकरण’ उप-शीर्ष के अधीन अधिक खरीद की प्रत्याशा में ₹ तीन करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये थे। हालाँकि, वहाँ ₹7.54 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (iv) अनुदान संख्या 11 - ‘शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग’ के अधीन पूँजीगत दत्तमत से ‘शास्त्री पार्क चौराहा और सीलमपुर में फ्लाईओवर के निर्माण’ उपशीर्ष के अधीन अधिक खरीद की प्रत्याशा में ₹9.99 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये थे। हालाँकि वहाँ ₹10 करोड़ की अंतिम बचत थी।

उपरोक्त अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया के सूचक थे।

### 2.3.6 पर्याप्त अभ्यर्पण

14 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.5) में ₹2,112.83 करोड़ के (मूल प्रावधान के ₹10 करोड़ तथा 70 प्रतिशत से अधिक) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए जिनमें से छः उप-शीर्षों में कम बिलों की प्राप्ति, कम अनुदान जारी किये जाने, योजना का गैर-क्रियान्वयन तथा स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण ₹1,297 करोड़ की अनुदान राशि का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण हुआ।

अनुदान संख्या 9: 'उद्योग' के अंतर्गत ₹248.65 करोड़ की राशि का पर्याप्त अभ्यर्पण हुआ।

### 2.3.7 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का नियम 62(2) बताता है कि बचतों के साथ-साथ प्रावधान, जिनको लाभकारी ढंग से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उनका पूर्वानुमान होते ही वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को कम करना होता है। वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर, प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ या अधिक बचत वाले 10 अनुदानों के अन्तर्गत ₹10,158.87 करोड़ की बचतों में से, ₹3,460.37 करोड़ (बचतों का 34 प्रतिशत) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया गया था, जिसके ब्यौरे परिशिष्ट 2.6 में दिये गये हैं।

### 2.3.8 व्यय का द्रुतप्रवाह

सा.वि.नि. 2017 का नियम 62(3) निर्धारित करता है कि विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में व्यय का द्रुतप्रवाह वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा तथा इसे दूर किया जाना चाहिए। इसके विपरीत विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में पाँच अनुदानों के अंतर्गत 26 उप-शीर्षों में किया गया व्यय कुल व्यय के 53.34 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था जो परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

यह देखा गया कि 2018-19 के दौरान पाँच अनुदानों के अंतर्गत 26 उप-शीर्षों पर ₹1,360.78 करोड़ के कुल व्यय में से ₹1,216.11 करोड़ (89.37 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि व्यय का 88.12 प्रतिशत (₹1,199.11 करोड़) मार्च 2019 में किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषतः मार्च माह के दौरान व्यय का द्रुतप्रवाह वित्तीय नियमों की गैर-अनुपालना का संकेत देता है।

### 2.4 व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित की गई वसूलियाँ

विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँगें जिनमें जमा और वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं, सकल व्यय के लिए होती

हैं, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियों और जमा को बजट आकलनों में पृथक रूप से 'शून्य' दिखाया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान 'शून्य' पूर्वानुमानित वसूलियों की तुलना में ₹70.42 करोड़ की वास्तविक वसूलियाँ थीं।

### 2.5 अनुदान सं. 8 - 'समाज कल्याण' की संवीक्षा के परिणाम

2016-19 की अवधि के लिए अनुदान सं. 8 - 'समाज कल्याण' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की संवीक्षा सितम्बर 2019 में की गई जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:

- (i) पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय तथा बचत की पूरी स्थिति को तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		किया गया व्यय		बचत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
2016-17	4,708.60	1,197.08	4,200.15	1,143.65	508.45	53.43
2017-18	6,442.52	1,053.39	5,951.17	818.46	491.35	234.93
2018-19	6,162.28	1,491.06	5,664.59	448.70	497.69	1,042.36
<b>कुल</b>	<b>17,313.40</b>	<b>3,741.53</b>	<b>15,815.91</b>	<b>2,410.81</b>	<b>1,497.49</b>	<b>1,330.72</b>

- (ii) अनुदान के अंतर्गत 27 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ या अधिक की लगातार बचतें थी जो अव्यवहारिक बजटिंग तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को इंगित करती हैं।
- (iii) अनुदान के वर्गीकृत विनियोजन लेखों की संवीक्षा यह दिखाती है कि राजस्व दत्तमत सेक्शन में 7 से 11 प्रतिशत की तथा राजस्व प्रभारित सेक्शन में 69 से 100 प्रतिशत की निरंतर बचतें थी जबकि पूँजीगत दत्तमत सेक्शन में बचतें कुल अनुदान का 4 से 70 प्रतिशत थीं जो अव्यावहारिक बजटिंग तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रावधानों को इंगित करती हैं।
- (iv) 61 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग अपने वास्तविक अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं ला सके, परिणामस्वरूप 2016-17 से 2018-19 के दौरान ₹66.15 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति इन मामलों में ₹187.11 करोड़ की संचित अनुपयोगी राशि थी।
- (v) अनुदान के अंतर्गत 79 उप-शीर्षों में विभाग द्वारा संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य को इंगित करती थी कि वास्तविक आवश्यकता का पर्याप्त रूप से मूल्यांकन किए बगैर तथा संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं की उचित संवीक्षा किए बगैर आकलन बनाए गए (परिशिष्ट 2.8)।
- (vi) सा.वि.नि. 2017 का नियम 62(3) बताता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है

तथा इसे रोका जाना चाहिए। इसके विपरीत, विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 52 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य खर्च किया गया।

## 2.6 निष्कर्ष

2018-19 के दौरान ₹58,177.14 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹46,344.56 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹11,832.58 करोड़ (20.34 प्रतिशत) की बचत हुई।

2018-19 के दौरान आठ उप-शीर्षों में ₹160.87 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था और 41 उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचतें अविवेकपूर्ण तरीके से की गईं जिसके परिणामस्वरूप ₹315.91 करोड़ के प्रावधान का उपयोग न हो सका/अधिक हो गया।

61 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हो गया क्योंकि विभागों ने अपने वास्तविक अनुदान का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया और जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान अनुदान सं. 8 - 'समाज कल्याण' के अंतर्गत ₹187.11 करोड़ की संचित अनुपयोगी राशि थी।



**अध्याय-3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**



## अध्याय - 3

### 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन की विशेषताओं में से एक है। इस अध्याय में रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की चर्चा की गई है।

#### 3.1 लेखाकरण मानकों की अनुपालना

भारत सरकार द्वारा तीन भारतीय सरकारी लेखाकरण मानकों (आई.जी.ए.एस.) को अधिसूचित किया गया है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान लेखांकन मानकों की अनुपालना को नीचे तालिका 3.1 में वर्णित किया गया है:-

**तालिका 3.1: आई.जी.ए.एस. का कार्यान्वयन**

आई.जी.ए.एस.	कार्यान्वयन की स्थिति	टिप्पणियाँ
आई.जी.ए.एस.-I (सरकार द्वारा दी गई गारंटियां)	ला.न.	रा.रा.क्षे.दि.स. को उनके समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी देने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन भारत सरकार द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए गारंटियां दी जाती हैं। 2014-15 से 2018-19* की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए भारत सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई।
आई.जी.ए.एस.-II (सहायता अनुदान का लेखाकरण तथा वर्गीकरण)	अनुपालन किया गया (वित्त लेखों के परिशिष्ट की तालिका 10)	-
आई.जी.ए.एस.-III (सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम)	अनुपालन किया गया (सारांशीकृत हेतु वित्त लेखों तालिका 4 तथा विस्तृत तालिका हेतु तालिका 16)	-

\* सूचना प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई।

#### 3.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

सा.वि.नि. 2017, का नियम 238 प्रावधान करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राहियों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए। जबकि 31 मार्च 2018 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में, ₹5,169 करोड़ की समेकित राशि के 1,773 उ.प्र. 31 मार्च 2019 तक अनुदानग्राहियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण में समयवार विलंब का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है:

**तालिका 3.2: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयवार बकाया**

क्र. सं.	विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या में)	कुल जारी किया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	0-2	1,066	13,142.18	258	3,868.16
2	2-4	889	6,939.18	165	576.76
3	4-6	466	2,923.67	196	396.64
4	6-8	169	1,753.76	51	202.83
5	8-10	79	235.54	41	45.16
6	10 और उससे अधिक	1,328	582.39	1,062	79.45
	<b>कुल</b>	<b>3,997</b>	<b>25,576.72</b>	<b>1,773</b>	<b>5,169.00</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2018-19

1,773 बकाया उ.प्र. में से ₹5,089.55 करोड़ के 711 उ.प्र. 10 वर्षों तक की अवधि से बकाये थे, जबकि ₹79.45 करोड़ के 1,062 उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.बी.) ने अपने बकायों में से क्रमशः ₹2,007 करोड़ (38.83 प्रतिशत) तथा ₹765.62 करोड़ (14.81 प्रतिशत) अंशदान किए थे जैसाकि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित किया गया है। यह प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है तथा सरकार की ओर से पूर्व अनुदानों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित किए बिना ही नये अनुदानों को संवितरित कर देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उ.प्र. का लंबित रहना निधियों के दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी के जोखिम से युक्त था।

इसके अतिरिक्त, उ.प्र. के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आहरित निधि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई गई जिसके लिए वह आहरित की गई थी।

**3.3 लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब**

नि.म.ले.प. (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्शन 19 तथा 20 के अंतर्गत नि.म.ले.प. को 10 निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा सौंपी गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा में लेखे देने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाई गई है। वर्ष 2017-18 तक 10 निकायों/ प्राधिकरणों में से केवल चार<sup>1</sup> निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए।

<sup>1</sup> (i) गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (iii) अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली तथा (iv) इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

छः निकायों/ प्राधिकरणों के 2017-18 तक बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखों के विवरण तालिका 3.3 में दिए गए हैं।

तालिका 3.3: 31 मार्च 2019 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र. सं.	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या
1	दिल्ली कल्याण समिति	2017-18	1
2	दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.)	2013-14 से 2017-18	5
3	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2017-18	1
4	दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए)	2017-18	1
5	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूसआईबी)	2010-11 से 2017-18	8
6	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी)	2016-17 और 2017-18	2

उपरोक्त से, देखा जा सकता है कि छः निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2017-18 तक के 18 वार्षिक लेखे बकाया थे।

वार्षिक लेखों के समय पर अन्तिमकरण किए जाने के अभाव में सरकार द्वारा किए गए निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की संवीक्षा के बाहर रहे। परिणामस्वरूप, जवाबदेही निश्चित किए जाने के लिए तथा प्रभावकारिता में सुधार किए जाने के लिए उचित उपाय समय पर नहीं किये जा सके। इसके अतिरिक्त, लेखों के अन्तिमकरण में विलम्ब, धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ा देता है।

सरकार को निकायों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखों के शीघ्र संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित प्रणाली का मूल्यांकन किए जाने पर विचार विमर्श करना चाहिए।

### 3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति तथा भुगतान का नियम 1983 के नियम सामान्यतः 191(3) के साथ पठित नियम 191 में अनुबन्धित है कि व्यक्तिगत जमा खातों (व्य.ज.खा.)के निम्नलिखित प्रकार के मामलों में महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) के साथ परामर्श करके संबंधित मंत्रालय/विभागों के विशेष आदेश के अंतर्गत खोला जाना प्राधिकृत किया गया है:

- (क) प्रशासक के पक्ष में अथवा उसके द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक धनराशि तथा संलग्न संपत्ति तथा सरकारी प्रबंधन के अधीन संपदा के उद्देश्य के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाए। नियम 192(1) के अनुसार

सरकार इन व्य.ज.खा. को बंद नहीं करती, चाहे वह पूरे तीन वर्षों से अधिक बकाया हों।

- (ख) नियम 192 (2) के अनुसार सिविल तथा क्रिमिनल कोर्ट जमा खातों के संबंध में संबंधित मुख्य न्यायिक प्राधिकारी के पक्ष में तथा इन व्य.ज.खा. को बंद नहीं किया जाएगा।
- (ग) जहाँ, सरकार की कुछ नियमित गतिविधियों के अधीन, प्राप्तियों को जारी तथा धनराशि को क्रेडिट किया गया अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन लेखों को उनके अंतर्गत व्यय के प्रति उपयोग किया जाना था तथा समेकित धनराशि से कोई व्यय सम्मिलित नहीं किया गया था। इन व्य.ज.खा. को सरकार बंद नहीं करेगी जब तक कि किसी प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधान का दवाब न हो।

रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रधान लेखा कार्यालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन से 12 व्य.ज.खा. को चला रहा है। इन व्य.ज.खा. को चलाने का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त किए गए मुआवजों की प्राप्ति का जमा कराया जाना, भूमि अधिग्रहण क्लैकटर्स द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान किए जाने के लिए, पेपर बुक मामलों में संवीक्षा प्रभागों, चुनाव याचिका के शुल्कों, सिविल जमा खातों तथा कोर्ट के आदेशानुसार मुकदमेबाजी का शुल्क, तथा समेकित धनराशि से कोई व्यय सम्मिलित नहीं था। 31 मार्च 2019 तक इन 12 व्य.ज.खा. में ₹72.84 करोड़ का अंतिम शेष था जो समाप्त करने योग्य नहीं है।

### 3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (सा.आ.) के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले माह में आहरित किए गए सा.आ. बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹682.98 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹118.54 करोड़ (17.36 प्रतिशत) की कुल राशि के वि.प्र.आ. प्राप्त हुए, जिस कारण 31 मार्च 2019 तक ₹564.44 करोड़ के सा.आ. बिल बकाया थे। वर्षवार विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सा.आ. बिलों की राशि	वि.प्र.आ. बिलों की राशि	सा.आ. बिलों की प्रतिशतता में वि.प्र.आ. बिल	बकाया सा.आ. बिल
2012-13 तक	130.24	16.50	12.67	113.74
2013-14	21.94	10.49	47.81	11.45
2014-15	24.70	4.90	19.84	19.80
2015-16	48.05	5.65	11.76	42.40
2016-17	68.53	24.51	35.77	44.02
2017-18	108.97	31.87	29.25	77.10
2018-19	280.55	24.62	8.78	255.93
<b>कुल</b>	<b>682.98</b>	<b>118.54</b>	<b>17.36</b>	<b>564.44</b>

जैसाकि तालिका में देखा जा सकता है, पाँच वर्षों से अधिक अवधि के सा.आ. बिल बकाया थे। जबकि, 2018-19 में पिछले वर्ष से वि.प्र.आ. बिलों के द्वारा सा.आ. बिलों का समायोजन 29.25 प्रतिशत से घट कर 8.78 प्रतिशत हो गया। 2018-19 के दौरान ₹280.55 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹115.12 करोड़ (41 प्रतिशत) की राशि मार्च 2019 से संबंधित थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखों की समाप्ति से पूर्व 45 सरकारी विभागों ने ₹255.93 करोड़ की राशि के 468 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित (वि.प्र.) बिल जमा नहीं किये थे, अतः कोई आश्वासन नहीं हो पाया कि ₹255.93 करोड़ का व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य हेतु किया गया जिसके लिए विधान मंडल द्वारा इसे प्राधिकृत किया गया था। मार्च 2019 तक ₹564.44 करोड़ के कुल 4,663 सा.आ. बिल बकाया थे।

अग्रिम आहरण और उसका लेखाकरण नहीं किए जाने से उसके अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्करण आदि की संभावना बढ़ गई है। अतः इसकी गंभीरता से अनुवीक्षण करने की आवश्यकता है।

सरकार को मामले की सूचना (अक्टूबर 2019) दी गई थी, जिसका जवाब प्रतीक्षित है।

### 3.6 मुख्य शीर्ष-7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि विवरणी सं. 16 (सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी) में बिना कोई स्पष्टीकरण दिये ऋणों तथा अग्रिमों के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष थे जैसाकि तालिका 3.5 में वर्णित है।

**तालिका 3.5: ऋणों तथा अग्रिमों के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	31.03.2019 को शेष
1	6401	कृषि कार्य के लिए ऋण 105- खाद तथा उर्वरक	(-)90.08
2	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 201-गृह निर्माण अग्रिम	(-)547.22
3	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 202-मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	(-)223.46
4	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 203-अन्य वाहनों को खरीदने के लिए अग्रिम	(-)23.30
5	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 204- कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	(-)160.20

सरकार ने कहा (जनवरी 2020) कि मुख्य शीर्ष 6401- 'कृषि कार्य के लिए ऋण', 105- 'खाद तथा उर्वरक' के अधीन ऋणात्मक शेष पुराने समय के तथा गलत वर्गीकरण के कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि मुख्य शीर्ष 7610- 'सरकारी कर्मचारियों को ऋण', के अंतर्गत ऋणात्मक शेष मार्च 2018 की तुलना में मार्च 2019 में कम हो गये थे। अतः इसका प्रभाव आगामी वित्तीय वर्ष में दिखाई देगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह मामला 2016-17 तथा 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए जाने के बावजूद अभी भी व्याप्त है। ऋणों तथा अग्रिमों पर ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष न्यूनतम हो, इसे सुनिश्चित करने हेतु और अधिक सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

### 3.7 निष्कर्ष


विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में पर्याप्त विलंब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹5,089.55 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र 10 वर्ष तक बकाया थे जबकि ₹79.45 करोड़ के 1,062 उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक की अवधि से बकाया थे। इस प्रकार, यह आश्वस्त नहीं किया जा सका कि अनुदानों के प्रति व्यय वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए वह प्राधिकृत किया गया था।

2017-18 तक देय छः निकायों/प्राधिकरणों के 18 वार्षिक लेखे मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे।




31 मार्च 2019 तक ₹682.98 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के समक्ष ₹118.54 करोड़ (17.36 प्रतिशत) के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त किए जाने से ₹564.44 करोड़ के सार आकस्मिक बिल बकाया शेष थे। 2018-19 के दौरान, बकाया सार आकस्मिक बिल का 41 प्रतिशत केवल मार्च 2019 से संबंधित हैं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि राशि जिसके वि.प्र.आ. बिल बकाया थे वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए व्यय किए गए थे जिसके लिए इसे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत किया गया था।

नई दिल्ली  
दिनांक: 26 जून 2020

  
(लैसराम अंगम चंद सिंह)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 7 जुलाई 2020

  
(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**परिशिष्ट**



परिशिष्ट - 1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा

क. सामान्य आँकड़े			
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		1,483 वर्ग किमी
2.	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	11320* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9**प्रतिशत)		39.30
5.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0***प्रतिशत)	86.21 प्रतिशत
6.	बाल मृत्यु दर 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत**** = 33 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		16
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा***** (2012-16) (अखिल भारतीय औसत = 68.7 वर्ष)		ला.न.
8.	मानव विकास इंडेक्स*****		
	(क)	2017 (अखिल भारतीय = 0.643)	ला.न.
	(ख)	2018 (अखिल भारतीय = 0.647)	ला.न.
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2018-19 वर्तमान मूल्य पर		₹ 7,79,652 करोड़
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. /स.रा.घ.उ.*****मि.वा.वृ.द्ध. (2011-12 से 2018-19)	रा.रा.क्षे. दिल्ली	10.30 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	10.35 प्रतिशत
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध ***** (2011-12 से 2018-19)	रा.रा.क्षे. दिल्ली	12.41 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	11.75 प्रतिशत
12.	पिछले दस वर्ष की जनसंख्या वृद्धि ***** (2009 से 2019 तक)	12.84	32.84
ख. वित्तीय आंकड़े			
क्र.सं.	विवरण	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)	
1.		2009-10 से 2017-18	2017-18 से 2018-19
		रा.रा.क्षे. दिल्ली	रा.रा.क्षे. दिल्ली
क.	राजस्व प्राप्त का	7.33	11.50
ख.	स्वयं के कर राजस्व का	11.46	2.54
ग.	गैर कर राजस्व का	-15.44	-15.93
घ.	कुल व्यय का	5.46	8.35
ङ.	पूँजीगत व्यय का	-4.08	0.71
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	10.61	9.99
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	10.13	18.25

\*संसद इंफो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

\*\*आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 168-169

\*\*\*आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 164

\*\*\*\*आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 160

\*\*\*\*\*आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 160

\*\*\*\*\*मानव विकास प्रतिवेदन 2019

\*\*\*\*\*एमओएसपीआई वेबसाइट के अनुसार

\*\*\*\*\*एमओएसपीआई वेबसाइट के अनुसार

\*\*\*\*\*भारत की जनगणना 2001 (जनगणना प्रक्षेपण 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104 से 115 तक)

**परिशिष्ट 1.2**

**(प्रस्तावना को देखें)**

**भाग क: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट**

**सरकारी लेखों की संरचना:** राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। रा.रा.क्षे. दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में दिया जाता है (पेज 47 पर चार्ट देखें)।


**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

**भाग ख: वित्तीय लेखों का खाका**

विवरण	खाका
विवरण सं. 1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियां तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियां एवं संवितरण इत्यादि
विवरण सं. 2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय को दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी
विवरण सं. 3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें भारत सरकार से आन्तरिक उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित हैं।
विवरण सं. 4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरण सं. 5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का सारांश
विवरण सं. 6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरण सं. 7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरण सं. 8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरण सं. 9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरण सं. 10	वर्ष के लिये लघु शीर्ष तथा पूँजीगत व्यय मुख्य शीर्ष वार द्वारा राजस्व व्यय के लेखे
विवरण सं. 11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरण सं. 12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरण सं. 14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरण सं. 15	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरण सं. 16	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत विवरणी

चार्ट: रा.रा.क्षे. दिल्ली के लेखों की संरचना



**परिशिष्ट 1.3**  
**(प्रस्तावना को देखें)**

**राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली**

जी.एस.डी.पी. राज्य की आर्थिक मुख्य राजकोषीय संचय जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व तथा वर्तमान बाजारी मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत किये जाने के निष्पादन का अच्छा संकेतक मानी जाती है। जी.एस.डी.पी. द्वारा दर्शाए गए आधार के संदर्भ में प्रासंगिक अस्थायी वित्तीय के लिए उत्पलावकता गुणांक भी आकलन करने के लिए लगाया गया आधार में परिवर्तन के साथ संसाधनों की लामबंदी व्यय का तरीका इत्यादि में तेजी आ रही है या यह वित्तीय समुच्चय जी.एस.डी.पी. के अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित हुए हैं।

पिछले पाँच वर्षों के लिए जी.एस.डी.पी. में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:-

**वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवृत्तियाँ**

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

प्रवृत्तियों तथा राजकोषीय संचय के प्रतिमानों के निर्धारण में प्रयोग में लाए जा रहे कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषाओं को नीचे दिया गया है:

शब्दावली	परिकलन का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर/जी.एस.डी.पी. विकास की वृद्धि दर
पैरामीटर की उत्पलावकता (एक्स) अन्य पैरामीटर के संबंध में (वाई)	पैरामीटर की वृद्धि दर (एक्स)/पैरामीटर की वृद्धि दर (वाई)
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]* 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवार्य + आर्थिक सेवार्य
संचयित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ})/2]*100$
विस्तारित ब्याज	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
विस्तारित प्रमात्रा	ऋण स्टॉक *विस्तारित ब्याज
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त किया गया ब्याज	$\text{प्राप्त किया गया ब्याज} / [(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों का अन्त शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+ पूँजीगत व्यय+ निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान



**परिशिष्ट 1.4**  
**रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आंकड़े**  
**(पैराग्राफ 1.1.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>भाग क: प्राप्तियां</b>					
1. राजस्व प्राप्तियां	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
(i) कर राजस्व	26,604	30,226	31,140	35,717	36,625
राज्य उत्पाद तथा सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	-	-	-	13,621	19,187
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	18,289	20,246	21,144	11,149	5,886
राज्य उत्पाद शुल्क	3,422	4,238	4,251	4,453	5,028
वाहनों पर कर	1,559	1,607	1,809	2,116	2,055
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2,780	3,433	3,144	4,117	4,459
भूमि राजस्व	62	1	2	2	0
वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	492	701	790	259	10
(ii) गैर कर राजस्व	633	515	381	766	644
(iii) संघीय कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2,348	4,258	2,825	2,184	5,844
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	228	83	212	691	1,644
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	29,812	35,082	34,558	39,358	44,757
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	1,764	2,241	1,696	1,906	2,880
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,764	2,241	1,696	1,906	2,880
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियां (4+5)	31,577	37,323	36,254	41,264	47,637
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	10	-	2	95
8. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	31,577	37,333	36,254	41,266	47,732
<b>भाग ख. व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	23,509	26,343	29,302	33,754	36,852
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	5,983	6,427	6,590	7,196	7,605
सामाजिक सेवाएँ	13,306	14,818	16,579	19,602	21,663
आर्थिक सेवाएँ	3,319	4,139	5,111	5,862	5,219
सहायता अनुदान और अंशदान	901	959	1,021	1,094	2,365
11. पूँजीगत व्यय	4,404	4,723	3,754	3,243	3,266
सामान्य सेवाएँ	371	378	350	228	180
सामाजिक सेवाएँ	1,330	1,699	2,130	1,575	1,755
आर्थिक सेवाएँ	2,703	2,647	1,274	1,440	1,331
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	1,680	2,684	2,553	2,248	2,402
13. कुल व्यय (10+11+12)	29,593	33,750	35,609	39,245	42,520
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1,347	1,435	1,655	1,682	3,636
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,347	1,435	1,655	1,682	3,636
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	10	-	-	90
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	30,940	35,195	37,264	40,927	46,246
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	2	5
18. सार्वजनिक खाते से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30,940	35,195	37,264	40,929	46,251
<b>भाग ग. घाटा</b>					
20. राजस्व घाटा(-)/ राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(+)6,076	(+)8,656	(+)5,044	(+)4,913	(+)6,261
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(+)219	(+)1,332	(-)1,051	(+)113	(+)2,237
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+) (21+23)	(+)2,993	(+)4,142	(+)1,832	(+)2,984	(+)5,104
<b>भाग घ. अन्य आंकड़े</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,774	2,810	2,883	2,871	2,867
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. पूर्वापाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वापाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वापाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य धरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
29. बकाया गारंटियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
<b>भाग ड: राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.38	5.49	5.06	5.18	4.70
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.13	0.09	0.06	0.11	0.08
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	5.98	6.13	5.78	5.69	5.45
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	100.03	96.43	103.68	101.49	98.62
राजस्व व्यय/कुल व्यय	79.44	78.05	82.29	86.01	86.67
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	53.85	51.92	54.68	56.49	59.05
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	21.48	23.33	21.25	20.89	17.07
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.88	13.99	10.54	8.26	7.68
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	13.63	12.88	9.56	7.68	7.26
<b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)1.23	(+)1.57	(+)0.82	(+)0.71	(+)0.80
राजकोषीय घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(+)0.04	(+)0.24	(-)0.17	(+)0.02	(+)0.29
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(+)0.60	(+)0.75	(+)0.30	(+)0.43	(+)0.65
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	6.57	6.05	5.42	4.86	4.21
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	109.85	95.16	97.09	86.82	76.11
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	321.91	447.85	176.46	252.56	358.50
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
<b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
निवेश पर प्रतिफल	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।  
टिप्पणी-आंकड़ों को पूर्णांक किया गया है।

**परिशिष्ट 1.5**  
**विभिन्न निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण**  
**(पैराग्राफ 1.7.2 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि	मुख्य एजेंसियां/स्थानीय निकायों जिन्हें ऋण दिया गया था
जल आपूर्ति और स्वच्छता	जल आपूर्ति - शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों, स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	11,615.49	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	सीवरेज और स्वच्छता - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	8,086.46	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	<b>कुल</b>	<b>19,701.95</b>	
शहरी विकास	झुग्गी बस्ती क्षेत्र का विकास - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	62.48	दि.न.नि.
	अन्य शहरी विकास योजनाएँ - स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	1,696.75	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि. तथा दि.न.नि.
	<b>कुल</b>	<b>1,759.23</b>	
सड़क परिवहन	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के लिए ऋण तथा अन्य ऋण	<b>15,595.52</b>	दि.प.नि., डी.एम.आर.सी., एम.आर.टी.एस. तथा पूर्वी दि.न.नि.
ऊर्जा परियोजनाएं	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, जल विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत उत्पादन, डीजल/गैस उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रसारण तथा संवितरण योजनाएँ और अन्य ऋणों के लिए ऋण	<b>10,376.10</b>	आईजीपीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल तथा डीपीसीएल
विविध ऋण	विविध ऋण	<b>16,273.53</b>	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि., दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.

परिशिष्ट 1.6

भाग अ: वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियाँ तथा संवितरणों का सार  
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड-क: राजस्व			संवितरण		
प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017-18		2018-19	2017-18		2018-19
38,667	I. राजस्व प्राप्ति	43,113	33,754	I. राजस्व व्यय	36,852
35,717	कर राजस्व	36,625	7,196	सामान्य सेवाएं	7,605
			19,602	सामाजिक सेवाएं	21,663
766	-गैर-कर राजस्व	644	9,039	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	9,942
			4,388	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,189
			3,241	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	3,127
			122	-सूचना एवं प्रसारण	51
			237	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	211
			133	-श्रम एवं श्रमिक कल्याण	143
			2,431	-समाज कल्याण एवं पोषण	2,989
			11	-अन्य	11
995	-केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं	807	5,862	आर्थिक सेवाएं-	5,219
1,189	-विधायिका सहित राज्य/के.शा.प्र. को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान	5,037	116	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	123
			14	-ग्रामीण विकास	12
			168	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	194
			1,694	-ऊर्जा	1,738
			15	-उद्योग एवं खनिज	18
			3,699	-परिवहन	2,952
			10	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	12
			146	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	170
			1,094	सहायता अनुदान एवं योगदान	2,365
			33,754	कुल	36,852
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		4,913	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	6,261
38,667	कुल	43,113	38,667	कुल	43,113

खण्ड-ख: पूँजीगत एवं अन्य					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017-18		2018-19	2017-18		2018-19
2,645	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	2,982		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट	
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. पूँजीगत रूपरेखा	
			228	सामान्य सेवाएं-	180

			1,575	सामाजिक सेवाएं-	1,755
			848	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	602
			346	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	307
			241	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	687
			-	-सूचना एवं प्रसारण	-
			48	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	65
			25	-समाज कल्याण एवं पोषण	20
			67	-अन्य	74
			1,440	आर्थिक सेवाएं-	1,331
			20	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	31
			102	-ग्रामीण विकास	142
			-	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	
			65	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	69
			3	-ऊर्जा	13
			0	-उद्योग एवं खनिज	0
			1,250	-परिवहन	1,076
			0	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0
			-	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0
			3,243	कुल	3,266
691	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	1,644	2,248	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,402
	-पॉवर परियोजनाओं से		466	- पॉवर परियोजनाओं के लिए	400
	-सरकारी सेवकों से		0	-सरकारी सेवकों को	1
	-अन्यों से		1,782	-अन्यों को	2,001
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया	
1,906	VII. लोक ऋण प्राप्तियां-	2,880	1,682	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,636
	-बाह्य ऋण	-	-	-बाह्य ऋण	-
	-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-
	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-

**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

1,906	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,880	1,682	-केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम की पुनर्अदायगी	3,636
-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	90-
2	IX. आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	95	2	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	5
-	X. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	X. लोक खाता संवितरण	-
-	-लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	-	-	-अल्प बचत एवं भविष्य निधियाँ	-
-	-आरक्षित निधियाँ	-	-	-आरक्षित निधियाँ	-
-	-उचंत एवं विविध	-	-	-उचंत एवं विविध	-
-	प्रेषण	-	-	प्रेषण	-
	जमा एवं अग्रिम		-	जमा एवं अग्रिम	-
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		2,982	XI.अंत में समाप्त शेष-	4,463
			-	- खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	-
			-	- रिजर्व बैंक में जमा	-
			-	- स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष	-
				नकद शेष निवेश	
43,911	कुल	50,714	43,911	कुल	50,714

परिशिष्ट 1.6 (जारी)  
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

भाग ब			
31 मार्च 2019 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2018 को	देयताएँ		31-3-2019 को
33,569	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		32,812
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
-	गैर-योजनागत ऋण		-
3,326	संसाधनों में अंतर को पूर्ति करने के लिये ऋण	-	3,326
30,243	लघु बचत संग्रहणों के अंश	-	29,406
-	विधायिका योजना सहित यूटी/राज्य को अन्य ऋण	-	80
89,829	राजस्व अधिशेष		96,090
1,588	सीजीए से 1994-95 के दौरान अंगीकृत पूँजीगत परिव्यय का शेष		1,588
3,356	1994-95 के दौरान सीजीए से अंगीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3,356
1,28,342	कुल		1,33,846
	परिसम्पत्तियाँ		
61,547	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	(क)	64,813
19,173	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	(ख)	19,261
42,374	अन्य पूँजीगत परिव्यय	(क-ख)	45,552
63,812	ऋण और अग्रिम	क	64,570
11,556	पाँवर परियोजनाओं हेतु ऋण	ख	10,376
36,093	अन्य विकास ऋण	ग=क-(ख+घ)	37,930
16,163	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण	घ	16,264
2,983	अन्तिम शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया गया		4,463
1,28,342	कुल		1,33,846

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूँकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमी/अधिशेष, जैसा कि परिशिष्ट 1.6 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखों में उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरुप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2019 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹61,547 करोड़ तथा ₹64,813 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹1,588 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक लेखा से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के लिए क्रमशः ₹63,812 करोड़ तथा ₹64,570 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम में ₹3,356 करोड़ शामिल है। लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले संगत आँकड़े वित्त लेखों में पृथक रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट 2.1

₹50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची  
(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचतों के कारण
<b>राजस्व - दत्तमत</b>								
<b>अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासन विभाग</b>								
1	2220.01.001.99 जन संपर्क निदेशालय	257.37	- 151.44	105.93	50.88	55.05	51.97	रिक्त पदों की भर्ती नहीं की गई, दावों/बिलों की कम प्राप्ति प्रचार किए हुए बिलों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था।
2	2051.00.103.98 दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन आयोग	35.14	76.16	111.30	46.71	64.59	58.03	रिक्त पद दावों/बिलों की कम प्राप्ति तथा कम संख्या में परीक्षाओं का संचालन
<b>अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन</b>								
3	मुख्य शीर्ष 2014.00.105.99 सिविल तथा सत्र न्यायालय	849.74	53.44	903.18	731.74	171.44	18.98	वेतन बकायों के भुगतानों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया, विभिन्न रिक्त पदों के लिए परीक्षाओं को संचालित नहीं किया गया।
<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>								
4	2202.01.111.98 सर्व शिक्षा अभियान (सीएसएस)	2,100.00	- 1,820.00	280.00	181.48	98.52	35.19	कम अनुदान का जारी करना तथा भारत सरकार के केन्द्रीय शेयर विलंब से जारी किए गए।
5	2202.02.109.96 सरकारी माध्यमिक विद्यालय	1,591.22	33.82	1,625.04	1,569.69	55.35	3.41	रिक्त पद, एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा बिलों की निकासी नहीं की गई।



6	2202.02.109.87 अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधायें	3,305.28	417.83	3,723.11	3,669.27	53.84	1.45	रिक्त पद, एमएसीपी/स्टैंपिंग अप मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा बिलों की निकासी नहीं की गई।
<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>								
7	2245.02.101.97.99 प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता	13.00	100.00	113.00	7.02	105.98	93.79	निधियों केवल प्राकृतिक आपदाओं पर सहायता के लिए आवंटित/आरक्षित थी।
<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>								
8	2216.80.190.92 कमजोर वर्ग (जेएनएनयुआरएम) के लिए गृह-निर्माण हेतु डीएसआईआईडीसी को अनुदान	8.00	492.00	500.00	320.24	179.76	35.95	विभिन्न कारणों से डीएसआईआईडीसी के संशोधित लागत के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया।
9	2217.04.191.55 एएमआरयूटी (सीएसएस) के लिए दि.न.नि./न.दि.न. नि.पा. को स.अ.	200.00	- 27.00	173.00	0	173.00	100	कम अनुदान जारी किए गए तथा विभिन्न कारण हेतु भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी नहीं किया गया।
10	2217.05.191.98 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,000.00	- 810.00	190.00	60.92	129.08	67.94	कम अनुदान जारी किए गए एवं नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण संस्वीकृति की प्राप्ति नहीं हुई।
11	2217.05.800.80 प्रत्येक विधान सभा में अवसंरचना जैसे सड़कों, गलियों, स्थानीय स्ट्रीट लाइट इत्यादि का सुदृढीकरण तथा विकास	225.00	175.00	400.00	288.28	111.72	27.93	विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य को कार्यान्वित करने हेतु जरूरी आवश्यकताओं को दी जाने वाली राशि रोकी गई।
12	2217.80.191.04.00 स्वच्छ भारत मिशन (सीएसएस)	192.00	- 36.00	156.00	53.12	102.88	65.95	कम अनुदान जारी किए गए तथा संस्वीकृति की प्राप्ति नहीं हुई।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूँजीगत - दत्तमत								
अनुदान सं. 10 - विकास								
13	4515.00.103.93 आईडीआरवी के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड	155.80	7.38	163.18	110.72	52.46	32.15	आई एण्ड एफसी विभाग द्वारा निधियों का अभ्यर्पण
अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
14	4217.60.050.93 यमुनापार क्षेत्र में विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का निष्पादन	48.00	52.00	100.00	49.52	50.48	50.48	नवीन आचार संहिता का कार्यान्वयन तथा संबंधित निष्पादन एंजिसियों द्वारा किए गए निवेदन का गैर- प्रस्तुतिकरण
15	4202.01.202.94 विद्यमान स्कूल भवनों में अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण	65.00	95.00	160.00	104.58	55.42	34.64	कार्य में धीमी प्रगति, संस्वीकृति प्रतिक्षित तथा निम्न स्तर पर निविदा प्राप्त की गई
<b>कुल</b>		<b>10,045.54</b>	<b>(-1,341.81)</b>	<b>8,703.73</b>	<b>7,244.17</b>	<b>1,459.57</b>		

## परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदान/विनियोजन का विवरण जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे  
(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)

(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचते	बचत के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>					
<b>अनुदान सं. 03 - न्याय का प्रशासन</b>					
1	2014.00.102.93.00.42 उच्च न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
2	2014.00.103.98 चयनित एमपी तथा एमएलए से संबंधित अपराधिक मामलों के संबंध में विचारण के लिए विशेष कोर्ट का गठन	1.19	0.00	1.19	निधियां/प्राधिकार/वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्ति के अंत में प्राप्त किए गए
<b>अनुदान सं. 04 - वित्त</b>					
3	3451.00.102.95 दिल्ली में निवेश तथा इन्टरप्राइजेस के लिए ब्यूरो को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	गारंटी संस्थानों से वांछित अनुदानों की गैर-प्राप्ति
4	4059.01.051.86 व्यापार तथा कर एनेक्सी बिल्डिंग	1.50	0.00	1.50	कम मरम्मत निर्माण कार्य
<b>अनुदान सं. 05 - गृह</b>					
5	2056.00.101.98 ई.प्रिजन परियोजना का कार्यान्वयन (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00	सू.त. विभाग की तकनीकी समिति की सहमति वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में प्राप्त हुई
<b>अनुदान सं. 06 - शिक्षा</b>					
6	2203.00.112.45 दिल्ली दक्षता/वोकेशनल यूनिवर्सिटी को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
7	2203.00.112.41 अनुसंधान अनुदान स्कीम	5.00	0.00	5.00	गैर-अन्तिमकरण तथा अनुमोदित दिशा-निर्देश, अनुदानों को जारी नहीं किया जा सका।

8	2205.00.102.57 नई भाषा अकादमी का गठन	2.00	0.00	2.00	कम रिक्त पद, कम क्रय तथा विभिन्न प्रशासनिक कारणों से स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
9	2205.00.102.56.97 स्ट्रीट थियेटर तथा प्रफोर्मिंग आर्ट्स	2.44	0.00	2.44	कम क्रय, कम बिल विभिन्न प्रशासनिक कारणों से स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
10	2202.03.102.87 प्रारंभिक वाल्यावस्था देखभाल केन्द्र के लिए अम्बेडकर यूनीवर्सिटी को सहायता अनुदान	2.00	0.00	2.00	कम अनुदान जारी करना तथा ए.यू.डी से किसी कंक्रीट प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति से निधियों का उपयोग नहीं किया गया।
11	2202.03.104.76 कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए कॉलेज को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	ए.यू.डी से किसी कंक्रीट प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति से निधियों का उपयोग नहीं किया गया।
12	2202.03.112.87.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00	कम बिल तथा यात्राएं, भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति तथा वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया
13	2202.03.112.86.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (स्टेट शेयर)	1.00	0.00	1.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया
<b>अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
14	2210.01.200.79 हेल्थ कार्ड	2.00	0.00	2.00	कम खरीद तथा स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
15	2210.06.800.68 दिल्ली में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए सोसायटी को सहायता अनुदान	2.70	0.00	2.70	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन

16	2210.06.101.32.99 सूचना तकनीकी	1.00	0.00	1.00	कम खरीद तथा स्कीम के लिए वांछित अवसंरचना उपकरण तथा मानव श्रम की गैर-अनुपलब्धता।
17	2211.00.101.76 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	4.18	0.00	4.18	कम अनुदान जारी किया जाना तथा परिषद से कम सरकारी बिल प्राप्त किया जाना
18	2210.05.101.86.98 आयुष डिस्पेंसरियों को आवश्यक औषधियां (सीएसएस)	1.20	0.00	1.20	कम अनुदान जारी किया गया, कम खरीद, कम बिल तथा राज्य वार्षिक योजना स्कीम (एसएएपी) का गैर-अनुमोदन
19	2210.01.110.67 डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	1.00	0.00	1.00	बिलों/दावों की गैर-प्राप्ति तथा कुछ बिल विवादास्पद थे
<b>अनुदान सं. 09 - उद्योग</b>					
20	3475.00.106.90.00.42 लीगल मैट्रोलोजी विंग (सीएसएस) का सुदृढीकरण	1.91	0.00	1.91	लो.नि.वि. द्वारा निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किया गया
<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>					
21	2401.00.104.94 परम्परागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)	4.71	0.00	4.71	वित्तीय वर्ष में आबंटित आरसी/एनजीओ द्वारा कार्यों को पूरा नहीं किया गया।
22	2405.00.101.87 नीली क्रांति एकीकृत विकास तथा मत्स्य पालन का प्रबंध (सीएसएस)	2.00	0.00	2.00	नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण व्यय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
23	2405.00.101.86 नीली क्रांति एकीकृत विकास तथा मत्स्य पालन का प्रबंध (स्टेट शेयर)	1.20	0.00	1.20	नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण व्यय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
24	2225.01.800.65 अल्पसंख्यक केन्द्रीयकरण जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5.00	0.00	5.00	भारत सरकार से कम अनुदान की प्राप्ति तथा कार्यकारी एजेंसी जैसे लो.नि.वि. द्वारा स्कीम का गैर-संचालन
25	2225.03.277.77 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (सीएसएस)	6.00	0.00	6.00	विभाग द्वारा स्कीम का गैर-संचालन

**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

26	2235.60.200.61 गवाह सुरक्षा निधि	2.00	0.00	2.00	ऐसे मामलों की गैर-प्राप्ति
27	2245.80.102.92 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्याशित निधि	5.00	0.00	5.00	लेखांकन प्रक्रिया का गैर-अनुमोदन
28	2015.00.106.89.99 चुनावों पर व्यय	1.50	0.00	1.50	राज्य/सं शा. विधान सभा के चुनाव का गैर-प्रबंधन
<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>					
29	2215.01.101.99 न.दि.न.पा. द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता	2.50	0.00	2.50	इसके लिए न.दि.न.पा. ने निवेदन नहीं किया
30	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सीएसएस)	34.00	0.00	34.00	कम अनुदान जारी करना तथा भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी नहीं किया जाना
31	2216.80.190.86 सभी पी.एम.ए.वाई. के लिए गृह निर्माण हेतु डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर)	1.00	0.00	1.00	कम अनुदान तथा केन्द्रीय शेयर का जारी नहीं किया जाना, राज्य शेयरों को उपयोग में नहीं लाया जा सका था।
32	2217.04.191.57 स्मार्ट सिटी के लिए न.दि.न.पा. को सहायता अनुदान (सीएसएस)	40.00	0.00	40.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा मंत्रालय को उनके दिशा निर्देशों के अनुसार न.दि.न.पा. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत न किया जाना
33	2217.04.191.55 एमएमआरयूटी के लिए न.दि.न.नि./न.दि.न.पा. को सहायता अनुदान	173.00	0.00	173.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न किया जाना
34	2217.05.191.97 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	1.00	0.00	1.00	कम अनुदान को जारी करना तथा नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई
35	2217.80.191.04.95 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एण्ड ओ.ई. के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00	कम बिल तथा संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई

36	2217.80.191.04.91 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	3.00	0.00	3.00	कम बिल तथा संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई
37	2251.00.090.84 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनर्निपटान (एलएआरआर) प्राधिकरण	1.50	0.00	1.50	प्रशासनिक कारणों से योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका
<b>अनुदान सं. 13 - पेंशन</b>					
38	2071.01.117.99 निर्दिष्ट अंशदान पेंशन स्कीम सरकारी अंशदान हेतु सरकारी अंशदान	21.25	0.00	21.25	भारत सरकार के साथ मामलों का निपटान नहीं किया गया तथा स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं. 06 - शिक्षा</b>					
39	4202.02.104.87 न्यू पॉलीटेक्निक का गठन (सीएसएस)	4.00	0.00	4.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
40	4202.01.203.91 स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की स्थापना	1.00	0.00	1.00	विधान सभा में स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया
<b>अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
41	4210.04.107.94 राज्य औषधि तथा नियमन पद्धति का सुदृढीकरण (सीएसएस)	1.50	0.00	1.50	के.क्र.प्रा. से औषधि जांच की मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
42	4210.04.107.93 राज्य औषधि तथा नियमन पद्धति का सुदृढीकरण (स्टेट शेयर)	1.00	0.00	1.00	के.क्र.प्रा. से औषधि जांच की मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>					
43	4250.00.101.99 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्याशित निधि	2.00	0.00	2.00	लेखांकन प्रक्रिया का गैर-अनुमोदन, आपदा प्रबंधन के लिए उपकरण की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका

अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग					
44	4217.60.050.98 शहरी गांवों का विकास	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा स्कीम को रोक दिया जाना
45	4059.01.051.79 सरकारी विज्ञापनों के लिए दिल्ली सरकारी भवनों/परिसरों पर होर्डिंग संरचना का निर्माण अधिष्ठापन	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
46	4059.01.052.98 सभी जेलों में सीसीटीवी निगरानी पद्धति का अधिष्ठापन/ओ एण्ड एम	25.00	0.00	25.00	कार्य के लिए निविदा को सौंपा नहीं जा सका क्योंकि संस्वीकृति की प्राप्ति बहुत देर से हुई
47	4202.01.600.92 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन	5.05	0.00	5.05	निर्माण कार्य में धीमी प्रगति
48	4235.02.101.86 सेवाकुटीर काम्पलैक्स किंग्सवे कैम्प, फेज-II में कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों) के लिए छात्रावास का निर्माण	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
49	4235.02.103.90 महिला कल्याण भवन	1.00	0.00	1.00	संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति
50	4235.02.103.88 कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण	1.50	0.00	1.50	निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा दस्तावेज की कमी के कारण स्थानीय निकाय द्वारा आहरणों को अनुमोदित नहीं किया गया
51	5054.04.101.95 आउटर रिंग रोड पर मजनु का टीला तथा मैकॉफ हाऊस पर फ्लाइओवर	1.00	0.00	1.00	प्रशासनिक अनुमोदित तथा व्यय संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति
52	5054.04.101.91 हाफ फ्लाइओवर का निर्माण	1.00	0.00	1.00	ऐसे कार्य का गैर-आवंटन
53	5054.04.101.83 शास्त्रीपार्क इन्टसेक्शन तथा सीलमपुर में फ्लाइओवर का निर्माण	10.00	0.00	10.00	वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंत में कार्यों को सौंपा गया
54	5054.04.101.79 अप्सरा बोर्डर आरओबी दिल्ली के आन्नद विहार आरओबी से रोड सं. 56 पर ग्रेड सेपरेटर/फ्लाइओवर का निर्माण	1.00	0.00	1.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य की प्रारंभिक अनुमान को संस्वीकृति नहीं किया गया



55	5054.04.337.88 लो.नि.वि. सड़कों का भूमि अवरोधन	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई
56	5054.04.800.79 वार्ड-फार्ड- दिल्ली	5.00	0.00	5.00	निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति
	<b>कुल</b>	<b>404.83</b>	<b>0.00</b>	<b>404.83</b>	

परिशिष्ट 2.3

अनावश्यक पूरक प्रावधान  
(पैराग्राफ 2.3.4 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों में से बचतें	पूरक प्रावधान
<b>राजस्व दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन</b>					
1	2014.00.105.99 सिविल एण्ड सेशन कोर्ट	849.74	731.74	118.00	124.22
2	2014.00.108.99 न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	61.89	49.51	12.38	8.11
<b>अनुदान सं. 5 - गृह</b>					
3	2056.00.101.98 ई-प्रिजन परियोजना का कार्यान्वयन (सीएसएस)	शून्य	शून्य	शून्य	1.00
<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>					
4	2401.00.104.94 परंपरागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)	शून्य	शून्य	शून्य	4.71
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं. 5 - गृह</b>					
5	4070.00.800.98 दिल्ली अग्नि सेवा	20.00	5.53	14.47	13.03
<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>					
6	4515.00.103.93 आईडीआरवी के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड	155.80	110.72	45.08	7.38
7	4515.00.789.97 आईडीआरवी के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड (एससीएसपी)	34.20	24.31	9.89	1.62
<b>राजस्व प्रभारित</b>					
<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
8	2210.01.001.98 चिकित्सा स्थापना	शून्य	शून्य	शून्य	0.80
	<b>कुल</b>	<b>1,121.63</b>	<b>921.81</b>	<b>199.82</b>	<b>160.87</b>

## परिशिष्ट 2.4

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन  
(जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
<b>अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासन अनुभाग</b>				
1	2052.00.090.55 मुख्य सचिवालय	9.46	10.20	अधिकारियों के विदेशी टूर तथा स्टाफ के स्थानांतरण को कार्यान्वित नहीं किया गया
<b>अनुदान सं. 3 - न्याय प्रशासन</b>				
2	2014.00.108.99 न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	1.38	21.87	प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति तथा प्रशासनिक कारणों के कारण कुछ मदों का क्रय नहीं किया जा सका था
3	2014.00.103.98 चयनित एमपी तथा एमएलए से संबंधित अपराधिक मामलों के विचारण के लिए विशेष कोर्ट का गठन	0.01	1.19	निधियां/प्राधिकार वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में प्राप्त की गई
4	2014.00.117.99 परिवारिक कोर्ट का गठन	1.75	4.17	कम्प्यूटर, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि के क्रय प्रस्तावों का लंबन तथा एंजेसियों द्वारा आउटसोर्स स्टाफ के संबंध में पिछले कुछ महीनों के वेतन तथा यात्रा बिलों को प्रस्तुत नहीं किया गया
5	2015.00.102 चुनावी अधिकारी (प्रभारित)	1.49	1.50	माननीय उच्च न्यायालयों में मामलों का लंबन
6	2015.00.102 चुनावी अधिकारी (दत्तमत)	2.00	2.20	रिक्त पद तथा वैंडर्स द्वारा बिलों का गैर-प्रस्तुतीकरण
<b>अनुदान सं. 5 - गृह</b>				
7	2056.00.001.99 जेल स्थापना	6.55	27.79	रिक्त पद तथा टीएसपी से प्राप्त की गई बिलों की राशि घट गई
8	2070.00.106.95 सिविल सुरक्षा तथा होम गार्ड	0.81	1.30	रिक्त पद, सिविल सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा दावा किए गए शुल्क बिलों की कम राशि तथा दो नए जिलों के लिए नए

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
				फर्नीचर की खरीद के लिए आचार संहिता औपचारिकताओं का पूर्ण न होना
9	2070.00.108.79 प्रशिक्षण	1.00	2.84	रिक्त पद, कम संख्या में टूर तथा 594 प्रशिक्षणार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से खाद्य एवं किट तथा उपकरणों के भुगतान हेतु अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>				
10	2202.02.052.95 स्कूल विस्तारण कार्यक्रम	1.00	1.59	स्कूलों तथा प्रशासनिक शाखाओं द्वारा निधियों का उपयोग
11	2202.02.800.36 निजी विद्यालयों में निशुःलक कोटा के अधीन दाखिल किए गए छात्राओं को पठनीय पुस्तकों/वर्दी के लिए सहायता अनुदान	1.00	1.62	कम अनुदान जारी करना तथा जिलों द्वारा निधियों का कम उपयोग किया जाना
12	2203.00.112.50 दिल्ली फार्मास्ट्यूकिल साईंसिंज तथा रिसर्च को सहायता अनुदान	1.00	1.15	डीपीएसआरयू के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के प्रति वित्त/योजना विभाग द्वारा निधियां प्रतिबंधित की गयी।
13	2204.00.102.96 एनसीसी/एसीसी छात्रों के लिए यूथ वेलफेयर कार्यक्रम	1.56	2.51	विभिन्न एनसीसी ईकाईयों द्वारा अन्तिम चरण में निधियों का समर्पण, एनसीसी केडर्स के लिए बंकबेड (फर्नीचर) तथा सु.त. संयंत्रों का क्रय नहीं किया गया
14	2205.00.102.91 उर्दू अकादमी को अनुदान	0.98	1.14	अन्य ठेकेदारों से विज्ञापन बिलों की गैर-प्राप्ति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में स.अ. की पहली किश्त की प्राप्ति
<b>अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
15	2210.01.110.29 अस्पताल तथा डिस्पेंसरिया भगवान महावीर अस्पताल	3.04	3.71	ठेकेदार द्वारा बिलों का गैर-प्रस्तुतीकरण तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
16	2210.01.789.95 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना: बाबू जगजीवन राम अस्पताल (एससीएसपी)	2.27	2.88	रिक्त पदों का भरा न जाना, 7 <sup>वें</sup> के.वे.आ. द्वारा ओ.टी.ए. का उन्मूलन दावों/बिलों की कम प्राप्ति तथा ठेकेदार द्वारा आचार संहिता औपचारिकताओं के गैर-अनुपालन के कारण कुछ बिलों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी
<b>अनुदान सं. 09 - उद्योग</b>				
17	2851.00.001.99 गांव तथा लघु उद्योग: मुख्यालय स्थापना	0.10	1.38	रिक्त पद, स्टाफ के स्थानांतरण तथा नवीन आचार संहिता प्रबंधन के कारण कुछ खरीद को कार्यान्वित नहीं किया जा सका
18	3475.00.106.90.00.42 लीगल मैट्रोलाजी विंग का सुदृढीकरण (सीएसएस)	0.37	1.91	लो.नि.वि. द्वारा कार्य आरम्भ नहीं किया गया
<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>				
19	2403.00.101.70 अस्पतालों डिस्पेंसरियों में पशु चिकित्सा सेवाओं तथा आकस्मिक बिमारियों का नियंत्रण	4.99	6.10	नवीन आचार संहिता के कारण औषधि निविदा को अन्तिमरूप नहीं दिया गया
20	2053.00.093.95 जिला स्थापना: सचिव राजस्व	0.20	4.08	रिक्त पदों को भरा नहीं गया तथा सक्षम प्राधिकारियों की कुछ संस्वीकृतियों को निष्पादित नहीं किया जा सका तथा जिला अधिकारियों के अभिलेख की डिजिटलीकरण/स्केनिंग के कार्यों को भी निष्पादित नहीं किया जा सका
21	2070.00.800.64.99 सिविल सुरक्षा निर्देश तथा प्रशासन	1.31	4.55	रिक्त पदों का न भरा जाना तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य व्यय चिकित्सा तथा अन्य प्रभार इत्यादि कम थे
22	2245.02.101.97.99 सचिव राजस्व: अन्य मदें	99.99	105.98	निधियां केवल प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्त सहायता हेतु आवंटित/आरक्षित थीं

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
23	2053.00.093.89 जिला स्थापना: पश्चिमी क्षेत्र	0.47	2.76	रिक्त पदों को भरा नहीं गया, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, फर्नीचर की खरीद न किया जाना तथा अनुमोदन की प्राप्ति न किए जाने के कारण कुछ बिलों का भुगतान नहीं किया जा सका
24	2053.00.093.87 जिला स्थापना: उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र	0.35	1.83	रिक्त पदों को भरा नहीं गया, अम्बेडकर भवन, रोहिणी में किराये के भवनों की बिजली के बिलों की गैर-प्राप्ति
25	2015.00.103.93 चुनावी कागजातों को तैयारी/प्रिंटिंग: उत्तरी जिला	0.50	1.02	वोटर्स केन्द्रों से बीएलओ भुगतान प्रपत्र के संबंध में फाइलों की गैर-प्राप्ति
<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>				
26	2052.00.090.60 शहरी विकास विभाग	0.15	1.55	रिक्त पदों का भरा न जाना
27	2217.80.191.13 नगर निगम सुधारों के लिए सहायता अनुदान	12.58	13.58	5 <sup>वें</sup> डीएफसी का कार्यान्वयन जहां एमआरएफ की सिफारिश नहीं की गई
28	2059.80.053.94 विभागीय आयुक्त कार्यालय	1.00	1.30	निचले स्तर पर निविदा तथा संस्वीकृतियों की गैर-प्राप्ति
29	3054.04.800.94.98 स्ट्रीट लाईट बिजली के बिल	7.95	8.78	आवंटन बिना किसी आकलन के एकमुश्त आधार पर था
30	2251.00.090.85 भूमि तथा भवन विभाग	0.01	3.16	रिक्त पदों का भरा न जाना
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 05 - गृह</b>				
31	4070.00.800.98 दिल्ली अग्नि सेवा	4.97	32.47	101 अग्निशमन उपकरणों की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
32	4055.00.800.99 फारेंसिक साईंस लेबोरेटरी	0.99	4.84	प्रशासनिक कारणों से कुछ प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका
<b>अनुदान सं. 06 - शिक्षा</b>				
33	4250.00.201.88 उपकरण	3.00	7.54	सीएनसी मशीनों तथा खराद मशीन की निविदाओं को अन्तिमरूप नहीं दिया जा सका

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
<b>अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
34	4210.04.107.93राज्य औषधि तथा नियमन प्रणाली का सुदृढीकरण (स्टेट शेयर)	0.58	1.00	के.क्र.प्रा. से औषधि जांच लेबोरेटरी की मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया
<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>				
35	4403.00.101.90 अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में पशु चिकित्सा सेवाओं तथा आकस्मिक रोगों का नियंत्रण	1.30	3.19	निविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया
<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग</b>				
36	4055.00.212.90 दिल्ली फारेंसिक साईंस लेबोरेटरी	0.50	1.11	निचले स्तर पर कुछ निविदा तथा संस्वीकृतियां प्रतीक्षित थीं
37	4070.00.800.98 दिल्ली अग्नि सेवार्यें	2.95	3.29	बजट वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त किया गया
38	4235.02.101.87 मानसिक रूप से विकसित के लिए गृहों का विकास	3.30	3.60	स्ट्रक्चर प्लान ड्राईंग्स निर्णय के लिए जिला कोर्ट के समक्ष लंबित थे।
39	5054.04.101.83 शास्त्री पार्क इन्टरसेक्शन तथा सीलमपुर में फ्लाइओवर का निर्माण	9.99	10.00	कार्य आंबटित नहीं किया गया
40	5054.04.101.79 आन्नद विहार आरओबी से अप्सरा बोर्डर आरओबी रोड़ सं. 56 पर ग्रेड सेपरेटर/फ्लाइओवर का निर्माण	0.99	1.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य का पूर्व आकलन संस्वीकृत नहीं किया गया था
41	5475.00.800.94 भार तथा माप विभाग के लिए भवन का निर्माण	0.80	2.23	निविदाओं को दो बार आमंत्रित किया गया परन्तु निम्नतम निविदा को उसकी पेशगी रकम प्राप्त हुई
	<b>कुल</b>	<b>194.63</b>	<b>315.91</b>	

परिशिष्ट 2.5

वास्तविक प्रावधानों के ₹10 करोड़ तथा 70 प्रतिशत से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले  
(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	मूल प्रावधान की प्रतिशतता	अभ्यर्पण के कारण
1	अनुदान सं. 4 वित्त	7615.00.200.76 स्वायत्त/स्थानीय निकायों के अर्थोपाय	700.00	700.00	100.00	ऋण जारी नहीं किए गए
2	अनुदान सं. 6 शिक्षा	4202.01.600.93 डीएसआईआईडीसी के द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा	175.00	175.00	100.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
3		4202.02.105.82 स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों की अवसंरचना परियोजना	64.00	50.00	78.13	कार्य की धीमी प्रगति तथा 2018-19 में एसपीएस क्लासरूम प्रस्ताव निविदाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया
4	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	2210.01.200.89.99 इन्श्योरेंस कंपनियों को भुगतान	100.00	100.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया
5		4210.01.110.64 केन्द्रीय क्रय एंजेंसी तथा स्टेट ड्रग अथोरिटी	180.00	124.58	70.00	कम खरीद, प्रेषण/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषण रसीद प्रमाणपत्र का तथा ई-मेल स्वीकार्य प्रमाणपत्र का गैर-प्रस्तुतीकरण
6	अनुदान सं. 9 उद्योग	3456.00.102.98 गरीबी रेखा से नीचे फोकस के साथ जन वितरण प्रणाली को कारगर बनाना	300.00	248.65	82.88	कम बिल तथा कार्य में धीमी प्रगति
7	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक	4202.01.600.92 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन	175.00	169.85	97.06	कार्य की धीमी प्रगति
8	निर्माण विभाग	4210.01.110.63 डिस्पेंसरियों के वर्तमान भवनों का उन्नतिकरण	103.00	78.00	75.73	स्थानीय निकायों से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण निर्माण कार्य



						की धीमी प्रगति तथा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ
9		4235.02.101.84 नरेला में मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों के लिए गृह-निर्माण	12.00	12.00	100.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
10		5054.04.101.86 रामपुरा, त्रिनगर/इन्दरलोक तथा कर्मपुरा दिल्ली में एनएस 10 पर पुलों का चौड़ीकरण	20.00	18.00	90.00	कार्य की धीमी प्रगति
11		5054.04.800.89 सीआरएफ स्कीम	10.00	10.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
12		4801.05.800.87 एचटी/एलटी ट्रांसमिशन इलैक्ट्रिसिटी लाईन्स की शिफ्टिंग	30.00	26.00	86.67	कार्य की धीमी प्रगति तथा निधियां केवल उन्हीं मामलों में जारी की गई जहां वांछित औपचारिकताएं पूरी की गई थीं तथा पॉलिसी कवर की गई थी
13		6801.00190.93 आईपीजीसीएल/पीपीसीएल को ऋण	300.00	300.00	100.00	आईपीजीसीएल/पीपीसीएल को ऋण जारी नहीं करना।
14	<b>अनुदान सं. 13 पेंशन</b>	2071.01.117.99. सरकारी अंशदान	122.00	100.75	82.58	भारत सरकार के साथ मामलों का गैर निपटान तथा स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
	<b>कुल</b>		<b>2,291.00</b>	<b>2,112.83</b>		

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण  
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा सं.	दत्तमत/प्रभारित	बचतें		अभ्यर्पण		बचतें जिनका अभ्यर्पण किया जाना था	
			राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन विभाग	दत्तमत	328.30	0	175.56	0	152.74	0
		प्रभारित	4.60	0	2.14	0	2.46	0
2	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	दत्तमत	294.96	0	82.92	0	212.04	0
		प्रभारित	50.55	0	25.50	0	25.05	0
3	अनुदान सं. 4 वित्त	दत्तमत	83.91	707.92	30.92	702.15	52.99	5.77
4	अनुदान सं. 5 गृह	दत्तमत	79.66	0	15.26	0	64.40	0
5	अनुदान सं. 6 शिक्षा	दत्तमत	3,135.82	389.80	2,700.60	334.06	435.22	55.74
6	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	दत्तमत	654.68	165.26	361.12	125.19	293.56	40.07
		प्रभारित	3.82	0	0.52	0	3.30	0
7	अनुदान सं. 9 उद्योग	दत्तमत	284.29	3.17	268.87	2.08	15.42	1.09
8	अनुदान सं. 10 विकास	दत्तमत	517.62	129.57	199.80	34.06	317.82	95.51
9	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत	1,063.69	2,138.43	10.05	1,526.95	1,053.64	611.48
10	अनुदान सं. 13 पेंशन	दत्तमत	122.82	0.00	100.75	0.00	22.07	0.00
	<b>कुल</b>		<b>6,624.72</b>	<b>3,534.15</b>	<b>3,974.01</b>	<b>2,724.49</b>	<b>2,650.71</b>	<b>809.66</b>

## परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह  
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखों के शीर्ष	कुल बजट	मूल प्रावधान	कुल व्यय	2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय		मार्च 2019 में किया गया व्यय	
					राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
<b>अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन</b>								
1	2015.00.105.90.00.13	13.95	13.95	13.85	12.88	93.00	11.74	84.77
<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>								
2	2202.01.111.98.00.31	20.00	20.00	19.99	17.13	85.69	17.13	85.69
3	2202.02.109.90.00.20	15.00	15.00	14.05	14.00	99.64	13.97	99.43
4	4202.03.800.98.00.53	10.30	10.30	10.30	10.30	100.00	10.05	97.57
5	4250.00.201.87.00.53	50.00	50.00	50.00	28.22	56.44	28.22	56.44
<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>								
6	2210.01.800.41.00.31	60.00	60.00	60.00	37.65	62.75	35.32	58.87
7	2210.80.800.59.00.32	50.00	50.00	50.00	37.50	75.00	37.50	75.00
8	4210.01.110.64.00.52	49.64	49.64	36.75	35.02	95.29	21.31	57.99
9	4210.01.110.93.00.52	20.85	20.85	20.75	11.07	53.34	10.95	52.67
<b>अनुदान सं. 10 - विकास विभाग</b>								
10	2053.00.093.83.00.50	81.45	81.45	81.45	49.23	60.44	49.23	60.44
<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास विभाग</b>								
11	2216.80.190.92.00.35	500.00	500.00	320.24	320.24	100.00	320.24	100.00
12	2216.80.789.98.00.35	100.00	100.00	50.82	50.82	100.00	50.82	100.00
13	2801.05.800.80.00.42	20.45	20.45	20.44	20.44	100.00	20.44	100.00
14	4202.01.202.94.00.53	160.00	160.00	104.58	86.09	82.32	93.73	89.63
15	4202.01.789.97.00.53	40.00	40.00	15.40	12.30	79.87	10.97	71.23
16	4217.60.050.93.00.53	100.00	100.00	49.52	37.43	75.59	32.22	65.06
17	5054.04.800.81.00.53	35.05	35.05	11.89	11.88	99.92	11.88	99.92
18	5054.04.800.88.00.53	21.95	21.95	21.39	14.57	68.12	14.05	65.68
19	6215.01.191.69.00.55	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00
20	6215.01.191.70.00.55	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	100.00
21	6215.01.191.80.00.55	12.50	12.50.00	12.50	12.50	100.00	12.50	100.00
22	6215.02.191.81.00.55	19.86	19.86	19.85	19.85	100.00	19.85	100.00
23	6215.02.191.85.00.55	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00
24	6215.02.191.86.00.55	33.00	33.00	33.00	33.00	100.00	33.00	100.00
25	6217.60.191.83.00.55	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00
26	6217.60.800.98.00.55	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
<b>कुल</b>			<b>1,758.00</b>	<b>1,360.78</b>	<b>1,216.11</b>		<b>1,199.11</b>	

**परिशिष्ट 2.8**  
**अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत**  
**(पैराग्राफ 2.5 (V) को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विस्तृत शीर्ष	मूलधन+ पूरक+ पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
<b>2016-17 (राजस्व)</b>				
1	2235.02.101.50.00.42	2.00	शून्य	2.00
2	2235.02.101.48.00.42	0.50	शून्य	0.50
3	2235.02.102.33	0.49	शून्य	0.49
4	2235.02.102.30.00.42	0.20	शून्य	0.20
5	2235.02.103.25	0.74	शून्य	0.74
6	2225.01.277.66.00.34	0.22	शून्य	0.22
7	2225.01.277.49	0.89	शून्य	0.89
8	2225.01.789.83.00.42	0.10	शून्य	0.10
9	2225.01.789.82	0.90	शून्य	0.90
10	2225.01.789.81.	1.00	शून्य	1.00
11	2225.01.800.74.00.42	0.50	शून्य	0.50
12	2225.02.190.98	1.00	शून्य	1.00
13	2225.80.789.95.00.42	3.00	शून्य	3.00
14	2225.80.800.65.00.42	3.00	शून्य	3.00
15	2225.80.800.64.00.50	1.00	शून्य	1.00
16	2225.80.800.63.00.50	1.00	शून्य	1.00
17	3055.00.001.88	0.30	शून्य	0.30
18	3452.01.190.76	0.75	शून्य	0.75
19	3452.80.190.93	0.10	शून्य	0.10
20	3452.80.190.90	0.50	शून्य	0.50
21	3452.80.190.85	7.00	शून्य	7.00
<b>2016-17 (पूँजीगत)</b>				
22	4235.02.101.82	3.00	शून्य	3.00
23	5055.00.800.97.00.42	11.73	शून्य	11.73
<b>2017-18 (राजस्व)</b>				
24	2235.02.101.48	0.10	शून्य	0.10
25	2235.02.104.62	0.10	शून्य	0.10
26	2235.02.102.36	1.00	शून्य	1.00
27	2235.02.103.44	0.13	शून्य	0.13
28	2235.02.103.31	2.00	शून्य	2.00
29	2235.02.103.29	1.00	शून्य	1.00
30	2235.02.103.25	0.74	शून्य	0.74
31	2235.02.103.24	0.80	शून्य	0.80
32	2235.02.103.23	0.50	शून्य	0.50
33	2235.02.103.21	3.90	शून्य	3.90
34	2236.02.101.75	0.52	शून्य	0.52
35	2225.01.277.66	0.22	शून्य	0.22
36	2225.01.277.58	0.27	शून्य	0.27
37	2225.01.277.49	0.10	शून्य	0.10
38	2225.01.789.98	0.22	शून्य	0.22
39	2225.01.789.83	0.10	शून्य	0.10
40	2225.01.789.82	0.10	शून्य	0.10

41	2225.01.789.81	0.10	शून्य	0.10
42	2225.01.800.74	0.50	शून्य	0.50
43	2225.80.789.95	2.00	शून्य	2.00
44	2225.80.800.65	2.30	शून्य	2.30
45	2225.80.800.64	0.50	शून्य	0.50
46	2225.80.800.63	0.10	शून्य	0.10
47	3452.01.190.98	0.50	शून्य	0.50
48	3452.01.190.76	0.50	शून्य	0.50
<b>2017-18 (पूँजीगत)</b>				
49	4235.02.104.98	3.74	शून्य	3.74
50	4235.02.102.98	1.00	शून्य	1.00
51	4235.02.800.93	1.50	शून्य	1.50
52	5055.00.050.87	0.71	शून्य	0.71
53	5055.00.190.78	1.00	शून्य	1.00
<b>2018-19 (राजस्व)</b>				
54	2235.02.101.61	0.10	शून्य	0.10
55	2235.02.104.62	0.10	शून्य	0.10
56	2235.02.107.79	0.01	शून्य	0.01
57	2235.02.200.81	0.10	शून्य	0.10
58	2235.02.102.60	0.42	शून्य	0.42
59	2235.02.102.30	0.28	शून्य	0.28
60	2235.02.102.24	1.00	शून्य	1.00
61	2235.02.102.22	0.50	शून्य	0.50
62	2235.02.102.20	2.57	शून्य	2.57
63	2235.02.102.19	1.71	शून्य	1.71
64	2235.02.103.25	0.31	शून्य	0.31
65	2235.02.103.19	0.40	शून्य	0.40
66	2235.02.107.90	0.40	शून्य	0.40
67	2236.02.101.71	0.46	शून्य	0.46
68	2225.01.277.50	2.40	शून्य	2.40
69	2225.01.800.74	0.50	शून्य	0.50
70	2225.80.789.98	0.13	शून्य	0.13
71	2225.80.789.97	1.60	शून्य	1.60
72	2225.80.789.95	1.00	शून्य	1.00
73	2225.80.800.65	1.00	शून्य	1.00
74	2225.80.800.63	0.10	शून्य	0.10
75	3452.80.190.82	0.38	शून्य	0.38
<b>2018-19 (पूँजीगत)</b>				
76	4235.02.104.98	4.00	शून्य	4.00
77	4235.02.102.98	3.00	शून्य	3.00
78	4235.02.103.98	1.00	शून्य	1.00
79	4235.02.800.93	1.50	शून्य	1.50

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2019 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण  
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद	राशि (₹ लाख में)	मद	राशि (₹ लाख में)	मद	राशि (₹ लाख में)
1	उत्तरी दि.न.नि.	2015-16	36	3,08,059.52	33	2,98,750.56	3	9,308.96
2	दक्षिणी दि.न.नि.	2015-16	40	2,43,150.39	34	1,91,409.23	6	51,741.16
3	पूर्वी दि.न.नि.	2015-16	37	1,68,977.24	36	1,64,778.58	1	4,198.66
4	दिल्ली छावनी बोर्ड	1994-95	119	7,585.24	4	3,146.21	115	4,439.03
5	दिल्ली जल बोर्ड	2015-16	138	4,09,572.28	138	3,75,372.65	0*	34,199.63
6	एनडीएमसी	1993-94	27	65,705.58	6	7,519.00	21	58,186.58
7	डीयूसआईबी	2011-12	37	1,03,648.38	10	27,086.40	27	76,561.98
8	डीएसआईआईडीसी	2016-17	1	48,838.81	1	14,357.06	0*	34,481.75
9	डीटीटीडीसी	2014-15	2	867.35	2	861.83	0*	5.52
10	पर्यटन विभाग	1998-99	35	10,952.22	15	2,573.73	20	8,378.49
11	शिक्षा विभाग	2001-02	93	1,89,191.69	85	1,64,045.25	8	25,146.44
12	हायर एजुकेशन	2014-15	4	86,100.00	4	86,100.00	0	0.00
13	पर्यावरण विभाग	2017-18	3	803.81	3	803.81	0	0.00
14	कला संस्कृति एवं भाषा विभाग	2017-18	30	10,048.01	30	10,048.01	0	0.00
15	एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण के लिए निदेशालय	1995-96	142	6,293.80	142	6,293.80	0	0.00
16	सामान्य प्रशासन विभाग	2010-11	0	232.28	0	47.56	0*	184.72
17	सूचना तथा तकनीकी विभाग	2006-07	6	592.82	6	592.82	0	0.00
18	कानून विभाग	2009-10	9	2,145.00	9	2,037.64	0*	107.36
19	ऊर्जा विभाग	2017-18	2	1,797.35	2	1,054.80	0*	742.55
20	योजना विभाग	2017-18	1	11.00	1	11.00	0	0.00
21	परिवहन विभाग (डीटीसी)	2017-18	2	2,00,700.00	0	0.00	2	2,00,700.00
22	एसपीसीए (पशुपालन)	2017-18	15	1,394.77	15	1,394.77	0	0.00
23	परिवार कल्याण निदेशालय	2016-17	14	8,306.52	9	8,029.92	5	276.60
24	सड़क सुरक्षा कक्ष	2005-06	1	70.10	0	19.50	1	50.60
25	प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई)	2007-08	179	1,01,663.54	164	98,510.45	15	3,153.09
26	पूसा पोलीटेक्निक	2011-12	3	2.47	0	0.00	3	2.47
27	एससीवी रमन आईटीआई	2012-13	3	4.08	2	3.83	1	0.25

\* उपयोगिता प्रमाण-पत्र 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त शेष अगले वर्ष के दौरान जारी किए जाने वाले सहायता अनुदान से समायोजन के अधीन था।

28	आई.एस.एम. एण्ड एच निदेशालय	2002-03	18	4,766.78	16	4,764.33	2	2.45
29	समाज कल्याण निदेशालय	1993-94	1,938	5,103.54	409	487.00	1529	4,616.54
30	डी.एल.एस.ए.	2017-18	2	64.94	2	64.94	0	0.00
31	स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय	1998-99	1023	5,67,680.67	1014	5,67,411.25	9	269.42
32	औद्योगिक विभाग	2015-16	37	3,341.54	32	3,194.40	5	146.14
		<b>कुल</b>	<b>3997</b>	<b>25,57,671.72</b>	<b>2,224</b>	<b>20,40,771.33</b>	<b>1,773</b>	<b>5,16,900.39</b>

परिशिष्ट 3.2

निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण

(पैराग्राफ 3.3 को देखें)

क्र.सं.	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी किए गए	विधायिका में प्रस्तुत की गई एस ए आर	वर्ष जिनके लेखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए सौंपा जाना	2014-17	2016-17	विधान मंडल में पेश नहीं की गई	2017-18	1
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जी.जी.एस.आई.पी.यू)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	प्रस्तुत की जानी है।	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.एस.आई.टी)	2017-18 से 2021-22 नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2015-16	2014-15	प्रस्तुत की जानी है।	2016-17 एवं 2017-18	2
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2012-13	2012-13	स्थिति प्रतीक्षित	2013-14 से 2017-18	5
5.	दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-16	2013-14	प्रस्तुत की जानी है।	2017-18	1
6.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	2017-18	1
7.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग(डी.ई.आर.सी.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 25.02.2019 को राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत की गई	-	-
8.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	-	-
9.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 20(3) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लिए सौंपा जाना	2017-18	2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लिए 03.01.2019 को राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत की गई	-	-
10.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	-	-	-	2010-11 में प्रतिष्ठित होने से	8



# शब्दावली



## शब्दावली

<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ के करों और शुल्क में राज्य का अंश और भा.स. के सहायता अनुदान शामिल हैं।
<b>पूँजीगत प्राप्तियां</b>	पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां, ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्त संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त उधार) और भा.स. से प्राप्त ऋण व अग्रिम और लोक लेखा से प्राप्ति शामिल हैं।
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>	उत्प्लावकता अनुपात किसी आधार चर में एक परिवर्तन के संदर्भ में किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रियात्मकता की मात्रा या सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता का स्तर दर्शाता है। उदाहरण के लिए राजस्व प्राप्ति का 0.5 होना यह व्यक्त करता है कि राजस्व प्राप्ति में 0.5 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि होती है, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।
<b>मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ</b>	मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है, यथा-कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।
<b>योग्यतामूलक वस्तुएँ</b>	योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।
<b>विकास व्यय</b>	व्यय के आंकड़ों को विकास और गैर-विकास व्यय में विभाजित कर विश्लेषण करते हैं। राजस्व लेखा, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्पष्ट

तौर पर सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय में शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में लिया जाता है।

**ऋण धारणीयता**

ऋण धारणीयता को एक समयावधि के भीतर राज्य द्वारा एक स्थिर ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इससे अपने ऋण की चुकौती की योग्यता भी संबंधित है। इस प्रकार, ऋण की धार्यता का अर्थ वर्तमान व प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त तरल संपत्ति का होना और अतिरिक्त ऋण की लागतों और इस ऋणों से प्राप्त रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समान हो।

**गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता**

अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयताओं और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धार्यता को प्राप्त किया जा सकता है यदि अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयता और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

**उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

इसे ऋणनिर्मोचन (मूल और ब्याज के भुगतान का जोड़) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं जो दर्शाता है कि ऋण निर्मोचन में किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का प्रयोग हुआ, जो उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाता है।

**प्राथमिक राजस्व व्यय**

प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान से शेष रहने वाला राजस्व व्यय है।

**निवल ऋण उपलब्ध**

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से अधिकता है।



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agaudelhi.cag.gov.in](http://www.agaudelhi.cag.gov.in)